एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक–मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	5
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	40
5.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	41
6.	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	70
7.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	71
8.	नकदी प्रवाह विवरण	72
9.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां	73

निदेशक–मंडल (21 दिसंबर 2016 को)

श्री अश्वनी लोहानी **अध्यक्ष**

श्री विनोद हेजमाड़ी

सुश्री गार्गी कौल

श्री बी.एस. भुल्लर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कैप्टन ए.के. शर्मा

कंपनी सचिव

श्रीमती पूनम भारवानी

लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन एण्ड जैन कंपनी
सनदी लेखाकार, मुंबई

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस,
113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110 001.

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष कंपनी की वर्ष 2015–16 की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है। कंपनी ने फरवरी, 2013 में अपना प्रचालन शुरू किया और वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालन के पहले वर्ष में, एकमात्र प्रचालन से 90.68 करोड़ रूपए का शुध्द लाभ अर्जित किया और दूसरे वर्ष भी, कंपनी को 101.40 करोड़ रूपए का शुध्द लाभ हुआ। यह अत्यधिक अनुकूल एवं उत्साहवर्धक रूख है ।

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड भारत में एक अग्रणी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर है और भारत के अधिकांश एअरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है ।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 की घोषणा की है और यह अपेक्षित है कि इसका भारत के ग्राउंड हैंडलिंग सैक्टर के आकार एवं संरचना पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। तीसरी पार्टी हैंडलर्स के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार का आकार बहुत कम समय में ही काफी बढ़ जाएगा। सीएपीए का अनुमान है कि यह बाज़ार अगले दस वर्षों में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक का हो जाएगा।

इस समय भारतीय वाहक अपने अधिकतर अंतर्देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रचालन खुद हैंडल करते हैं। भारत में तीसरी पार्टी हैंडलर्स के मुख्य ग्राहक विदेशी एअरलाइनें हैं, जिन्हें स्वयं हैंडल करने की अनुमति नहीं है। भारतीय वाहकों के लिए यह कुछ अंडर द विंग गतिविधियों द्वारा परिपूरित की जाती है।

नई नीति के अनुसार यह आवश्यक है कि एअरपोर्ट के ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि एअर इंडिया की सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम सहित साफ–सुथरी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए टर्मिनल और रैम्प हैंडलिंग दोनों के लिए सभी मुख्य एअरपोर्टों पर (6 मेट्रो एअरपोर्ट और कोच्चि में) तीन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां हैं। इससे एआईएटीएसएल के लिए तीसरी पार्टी की ग्राउंड हैंडलिंग के संबंध में विशेष रूप से बहुत बड़े बाज़ार का अवसर खुल सकेगा। इसके अलावा, एमआरओ, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और एटीएफ की बुनियादी सुविधाएं, जो किसी एअरपोर्ट पर एकसाथ स्थित हों, उन्हें बुनियादी सुविधा के एकसमान सूची के अंतर्गत कवर किया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधा क्षेत्र का लाभ मिलेगा।

सीएपीए का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2013 में तीसरी पार्टी का हैंडलिंग बाज़ार लगभग 200–220 अमरीकी डॉलर का था, जो तीसरी पार्टी हैंडलकर्ताओं के लिए अतिरिक्त नया व्यवसाय प्रति वर्ष 130 मिलियन अमरीकी डॉलर का हो जाएगा।

भारत में हवाई यातायात अगले दशक में तीन गुना होने की आशा है। सीएपीए ऐसी आशा करता है कि भारत वित्तीय वर्ष 2023 तक एक बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्राउंड हैंडलिंग बाज़ार बन जाए।

कंपनी का निष्पादन

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व 2014–15 के 647,01,21,986/– रूपए की तुलना में 636,90,10,471/– रूपए था। कुल खर्च वर्ष 2014–15 के 541,26,95,435/– रूपए की तुलना में 534,51,37,808/– रूपए था । अपवादात्मक मदों और कर के खर्चों के समायोजन के बाद 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का शुध्द लाभ 2014–15 के 90,68,22,470/– रूपए की तुलना में 101,40,78,865/– रूपए था।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

चूंकि कंपनी ने 2014–15 और 2015–16 में शुध्द लाभ अर्जित किया है। अतः बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित की है और काफी अच्छे प्रभाव, टिकाऊ कार्यक्रमों के ज़रिए समाज के प्रति सार्थक योगदान देने के उद्देश्य से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निर्धारित की है। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि बोर्ड द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए 93 लाख रूपए खर्च करने का बजट अनुमोदित किया गया है।

आभार प्रदर्शन

मैं, इस अवसर पर एअर इंडिया लिमिटेड और नागर विमानन मंत्रालय को उनके अत्यधिक समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं, बैंकों और विनियामक एजेंसियों सहित अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित

करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि हम एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड को बुलंदियों तक ले जाने के लिए प्रगति की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। मैं बोर्ड के अपने सहयोगियों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी टीम की भावना की शक्ति और निरंतरता दुनिया के सामने लाने के लिए किए गए प्रयासों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं अपने हर कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की छवि को हमेशा बनाए रखा है।

बोर्ड की ओर से हमेशा की तरह मैं सतत समर्थन की आशा करता हूं।

अश्वनी लोहानी

विज़न

- अपनी सेवा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धी शक्ति के साथ उद्योग का अगुवा बनना और वरीयता प्राप्त ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी।
- भारत में पहले नंबर की ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता बनना।

मिशन

- ग्राउंड हैंडलिंग उद्योग से संबंधित किसी भी प्रकार के सेवा के प्रावधान में अगुवा बनना।
- विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता और अबाध सेवा के तरीके से, जो ग्राउंड हैंडलिंग सेवा की छवि विकसित करे और विपणन अवसरों का उत्तोलन करे।
- अपने ग्राहकों को उन्हें दी गई सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के लिए उच्चतम मानकों की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है ।

वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपए में)

विवरण	2015–16	2014–15
कुल राजस्व	**63690.106**	4701.21
कुल व्यय	**53451.37**	54126.95
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	**10238.72**	10574.26
पूर्वावधि कर समायोजन	**–(238.77)**	198.69
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**10477.50**	10375.57
कर के लिए प्रावधान	**350.00**	2375.00
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**(13.28)**	(1067.65)
कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	**10140.78**	9068.22

वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी का कुल राजस्व वर्ष 2014–15 के कुल राजस्व रु. 647,01,21,986/– की तुलना में रु. 636,90,10,471/– था। कुल व्यय वर्ष 2014–15 के दौरान रु. 541,26,95,435/– की तुलना में रु. 534,51,37,808/– था। विशिष्ट मदों एवं कर व्यय का समायोजन करने के बाद, निवल लाभ वर्ष 2014–15 के दौरान रु. 90,68,22,470/– के स्थान पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 101,40,78,865/– था ।

अन्य वित्तीय जानकारी

<u>शेयर पूंजी :</u>

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 1000,00,00,000/– (एक हज़ार करोड़ रुपए) है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 138,42,42,000/– (प्रत्येक रु. 10/– के 13,84,24,200 इक्विटी शेयर) का एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है ।

शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई है

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी दिसंबर, 2015 में रु. 5,00,000/– से बढ़कर रु. 138,42,42,000/– की गई । तथापि, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

कर्मचारी बल

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एअर एवं ग्राहक एअरलाइनों की उडानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

सहायक नियंत्रक	159
जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव तकनीकी	45
सीनियर कस्टमर एजेंट	20
कस्टमर एजेंट	1677
जूनियर कस्टमर एजेंट	243
सीनियर रैम्प सर्विस एजेंट	97
रैम्प सर्विस एजेंट	477
यूटिलिटी एजेंट सह रैम्प ड्राइवर	225
सिक्युरिटी एजेंट	1075
सीनियर सिक्युरिटी एजेंट	842
हैंडीमैन	259
यूटिलिटी सर्विस एजेंट (एमओयू के अनुसार समाहित किया गया)	42
कुल	**5161**

एअर इंडिया से एआईएटीएसएल में 31 मार्च, 2016 को प्रतिनियुक्त एवं स्थानांतरित कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1332 एवं 2068 थी ।

सभी स्टेशनों पर सभी उड़ानों की सुरक्षा हैंडलिंग एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के स्टाफ द्वारा की जाती है, क्योंकि यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को आऊटसोर्स करने की अनुमति नहीं है ।

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निदेशों एवं वर्ष 1991 एवं 1996 में जारी संशोधित निदेशों के साथ आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग – 31 मार्च, 2016 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का %
8561	1559	18.21	535	6.25	1063	12.42

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा आवश्यक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लिया गया और उन्हें आऊटसोर्स किया गया :

त्रिचि में, यात्री/कार्गो फैसीलीटेशन/बैगेज एवं रैम्प प्रचालन/केबिन क्लीनिंग के कार्य मैसर्स खुल्लर हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 नवम्बर, 2015 से किए जा रहे हैं ।

अहमदाबाद में, यात्री फैसीलिटेशन एवं बैगेज हैंडलिंग सेवाएं मैसर्स खुल्लर हॉस्पीटलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 जनवरी, 2016 से की जा रही हैं ।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए कंपनी प्रभावी कदम उठा रही है।

यौन उत्पीड़न

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोक, प्रतिनिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न प्रतिरोधी नीति है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित की गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, कॉन्ट्रेक्ट पर, अस्थायी, प्रशिक्षु) इसके अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया है।

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों का निपटान करने के लिए 18 फरवरी, 2014 से अपनी संरचना विकेन्द्रित की है। आवेदनों/अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए 3 सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), 4 लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) तथा एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, 19 निवेदन/अपील प्राप्त हुई और सभी का निपटान किया गया ।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

लाभांश

कंपनी के कारोबार प्रचालन को बढ़ाने की दृष्टि से निदेशक–मंडल किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते ।

दावा नहीं किए गए लाभांश का निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में स्थानांतरण

चूंकि पिछले वर्षों में भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश नहीं था, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते ।

आरक्षिति में हस्तांतरित राशि

निदेशक–मंडल ने 101.40 करोड़ रूपए आरक्षिति में रखने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव दिया है ।

सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के बारे में सूचना

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं है ।

वास्तविक परिवर्तन एवं वचनबद्धताएं

31 मार्च, 2016 एवं बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए हैं ।

निदेशक–मंडल की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 की अपेक्षानुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के निदेशक–मंडल की निम्नानुसार 4 बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच समय अंतराल को देखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	निदेशक–मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	1 जुलाई, 2015	4	3
2.	28 सितम्बर, 2015	4	4
3.	28 दिसम्बर, 2015	4	4
4.	20 जनवरी, 2016	4	3

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी का निदेशक–मंडल पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं है;

2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को संगत रूप से प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय लिए और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं कि वे 31 मार्च 2016 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं;

3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

4. यह कंपनी गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान लागू नहीं हैं;

5. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं; तथा

6. निदेशकों ने सभी विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां निर्धारित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से प्रचालित थीं ।

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति नवंबर 2014 में गठित की गई है :

निदेशक का नाम	समिति में धारित पद	निदेशक की श्रेणी
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष	सरकारी मनोनीत निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	सदस्य	अध्यक्ष (मनोनीत निदेशक)
एअर इंडिया मनोनीत निदेशक	सदस्य	मनोनीत निदेशक

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है ।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स जैन एण्ड जैन, सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणियों/अर्हताओं या प्रतिकूल अभ्युक्तियों के बारे में प्रबंधन का स्पष्टीकरण/निर्वचन संलग्न है। वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और इनका और अधिक निर्वचन आवश्यक नहीं है।

ऋण, गारंटियां एवं निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिए गए, गारंटियां नहीं दी गईं या निवेश नहीं किए गए, अतः धारा 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

सचिवीय लेखापरीक्षक

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स हुसैन वाघ एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक I में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं :

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
कंपनी ने (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, अतः लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठकें नहीं की गईं ।	एआईएटीएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है । कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं । तद्नुसार, एआईएटीएसएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामला उठाया गया है।
जहां तक बोर्ड में लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की संरचना का प्रश्न है, चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, अतः कंपनी ने, कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और धारा 178 के प्रावधानों का कंपनी ने अनुपालन नहीं किया है ।	कंपनी अधिनियम की धारा 177(2) के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ कम से कम 3 निदेशक होंगे । हालांकि एआईएटीएसएल ने निम्न सदस्यों की लेखापरीक्षा समिति गठित की है : अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय — अध्यक्ष अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया — सदस्य एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा मनोनीत निदेशक — सदस्य

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	धारा 178 में यथापेक्षित, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति में 3 या उससे अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे, जिनमें से आधे से अनधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं । चूंकि इस समय एआईएटीएसएल के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है अतः नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है । हालांकि एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है।
26 फरवरी, 2015 एवं 1 जुलाई, 2015 को हुई बोर्ड की बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) का उल्लंघन है ।	यह वास्तविक कथन है ।

लागत लेखापरीक्षा

वर्ष 2015–16 के दौरान लागत लेखा–परीक्षा रिपोर्ट 4 अक्तूबर, 2016 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पास प्रस्तुत की गई है । लागत लेखा–परीक्षा वर्ष 2014–15 की है और लागत लेखा–परीक्षक मैसर्स मीना गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई थीं । वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इसी लागत लेखा–परीक्षक को नियुक्त किया गया है ।

महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश

वर्ष के दौरान नियामकों, न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण तथा वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे गोइंग कन्सर्न स्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों पर प्रभाव पड़े ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की जा रही गतिविधियों के स्वरूप को देखते हुए, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित विवरण नहीं प्रस्तुत किए गए हैं ।

तथापि, कंपनी ने चेन्नई में 50 कि.वा. पावर क्षमता की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली छत पर स्थापित की है, जो प्रतिदिन औसतन 220 कि.वा. इलैक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकती है और यह अच्छी तरह काम कर रही है ।

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय निम्नानुसार था:

अर्जन	54559645 अमरीकी डॉलर
व्यय	शून्य

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

एआईएटीएसएल निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अपनी पहल के माध्यम से समाज के प्रति प्रतिबध्द है। नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, हमने सीएसआर नीति एवं मार्गनिर्देश बनाए हैं, जो मुख्य रूप से निम्नानुसार है:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) एवं कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, कंपनी ने सीएसआर समिति गठित की है। समिति ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और उन पर किया जाने वाला व्यय निर्धारित किया है एवं बोर्ड को सिफारिश की है, जो सीएसआर नीति सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दस गतिविधियों की सूची दी गई है, जिसके अंतर्गत सीएसआर गतिविधियां की जानी हैं। इन दस गतिविधियों में एआईएटीएसएल मुख्यतः ग्रामीण विकास के लाभ के लिए सीएसआर परियोजनाएं चलाएगी ।

31 मार्च, 2016 को सीएसआर समिति का गठन :

श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष
सुश्री गार्गी कौल	सदस्य
श्री बी.एस. भुल्लर	सदस्य
श्री वी. हेज़माडी	सदस्य

सीएसआर समिति की बैठक 23 मई, 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें समिति ने सीएसआर नीति एवं सीएसआर गतिविधियों के लिए व्यय की मंजूरी दी थी ।

कंपनी का प्रस्ताव प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान करके सीएसआर गतिविधियों पर 72 लाख रूपए खर्च करने का है । चूंकि कंपनी के लिए सीएसआर एक नई संकल्पना है, इसलिए वह सीएसआर गतिविधियों को लक्षित स्तर तक कार्यान्वित नहीं कर सकती है । तथापि, निकट भविष्य में सीएसआर गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कार्रवाई की गई है ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी की सीएसआर गतिविधियों से संबंधित वित्तीय डाटा सहित सीएसआर नीति की प्रति अनुलग्नक II में निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है ।

निगमित शासन

कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर निगमित शासन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है । यह मामला प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है ।

विस्तृत निगमित शासन की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से दी गई है ।

वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक विवरणी का सारांश अनुलग्नक III में संलग्न किया गया है ।

कर्मचारियों का विवरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, धारा 134(3)(ङ) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं ।

इसके फलस्वरूप, धारा 178(3) के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति एवं अन्य मामलों से संबंधित कंपनी की नीति नहीं उपलब्ध कराई गई हैं ।

इसी प्रकार, धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का नाम एवं अन्य ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान/कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया था और नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाते थे, उनका विवरण कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित धारा 197(12) के निबंधनों के अनुसार नहीं उपलब्ध कराया गया है ।

चूंकि एआईएटीएसएल सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा सरकारी/डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यताओं एवं अन्य मामले निर्धारित करने के लिए वेतन मानदंड नियत करना भी शामिल है ।

जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा नहीं स्वीकार किया है ।

वार्षिक मूल्यांकन

तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार, बोर्ड मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होते, चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

स्वतंत्र निदेशकगण एवं घोषणा

एआईएटीएसएल एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है । कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 98 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और भारत सरकार के निदेशों के अधीन वे ऐसा कर सकते हैं ।

तद्नुसार, एआईएटीएसएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामला उठाया गया है ।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत यथापेक्षित, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति में 3 या उससे अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे, जिनमें से आधे से अनधिक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं।

चूंकि इस समय कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है अतः नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। हालांकि एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, एआईएटीएसएल एक सरकारी कंपनी है और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 5 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसार, निदेशकों से संबंधित धारा 178 (2) (3) (4) की प्रयोज्यता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

पारिश्रमिक नीति

कार्यपालक निदेशकों एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

कंपनी के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान तारीख 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ङ) के अनुसार सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्न उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है :

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों की समीक्षा उपलब्ध कराना ।
- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट करना ।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना ।
- ''जोखिम'' संस्कृति विकसित करना, जिससे सभी कर्मचारियों को जोखिमों और उससे जुड़े अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके ।
- मौजूदा एवं योजनाबद्ध तथा न्यूनतम बाधा एवं लागत के साथ समन्वित रूप से नए जोखिमों का पता लगाना, मूल्यांकन और प्रबंधन करना ।

निदेशकगण एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी के निदेशकों की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्त होने का तरीका
1	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष	13.09.2011	31.08.2015	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामांकन की अवधि नहीं बढ़ाई गई
2	श्री एस. वेंकट	एअर इंडिया मनोनीत निदेशक	27.12.2013	31.10.2015	अधिवर्षिता
3	श्री एस.एस. मोहंती	मनोनीत निदेशक (नागर विमानन मंत्रालय)	11.02.2015	06.05.2015	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामांकन की अवधि नहीं बढ़ाई गई
4	सुश्री गार्गी कौल	मनोनीत निदेशक (नागर विमानन मंत्रालय)	06.05.2015		
5	श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष	31.08.2015		
6	श्री विनोद हेज़माडी	एअर इंडिया मनोनीत निदेशक	07.12.2015		

संबंधित पार्टी संव्यवहार

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की, जो सामान्य कारोबार के दौरान सुरक्षित दूरी पर आधारित थी । ये संव्यवहार अधिनियम की धारा 188(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते ।

किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के बारे में आम सभा में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी धारा 188 की उप धारा (1) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुकों से छूट सरकारी कंपनी को उपलब्ध कराई गई है ।

कंपनी ने एअर इंडिया लिमिटेड एवं उसकी सहायक कंपनियों (सरकारी कंपनियों) के साथ वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग 250 करोड़ रूपए की अनुमानित राशि की संविदाएं/व्यवस्थाओं को करने के लिए 8 फरवरी, 2017 को हुई अपनी 59वीं बैठक में बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

आभार

बोर्ड, एअर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

बोर्ड के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 मार्च, 2017

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

❖ वर्ष 2014–15 के दौरान अर्जित 647,01,21,986/– रूपए के राजस्व की तुलना में वर्ष के दौरान कुल अर्जित राजस्व 636,90,10,471/– रूपए था ।

व्यय

❖ वर्ष के दौरान खर्च पिछले वर्ष के 541,26,95,435/– रूपए (6,75,57,627 रूपए की कमी) की तुलना में कुल खर्च 534,51,37,808/– रूपए था ।

2. भविष्य के परिदृश्य

एआईएटीएसएल इस समय 65 एअरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। एअर इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों की उड़ानों को हैंडल करने के अलावा 24 विदेशी अनुसूचित एअरलाइनों, 4 घरेलू अनुसूचित एअरलाइनों, 3 क्षेत्रीय एअरलाइनों, 16 सीज़नल चार्टर एअरलाइनों, 23 विदेशी एअरलाइनों को, जो नाश्वान कार्गो हैंडलिंग सेवाएं लेती हैं, को भी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। एअर इंडिया एवं सहायक कंपनियों एवं अनुसूचित और गैर–अनुसूचित ग्राहक एअरलाइनों की लगभग 119218 उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई जाती है ।

एआईएटीएसएल के प्रचालन वित्तीय स्थिति के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे । मुख्य आय अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को हैंडल करने से होती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जन, विदेशी प्रापण के लिए उपलब्ध होगी और कंपनी को राजस्व आय में विदेशी मुद्रा कमाने में भी लाभ होगा । पैन इंडिया की उपस्थिति और अपनी क्षमता से एआईएटीएसएल देश में बाज़ार की अगुवा होगी और जहां कहीं एअर इंडिया प्रचालन करती है, वैसे कुछ विदेशी देशों में व्यवसाय कर सकेगी ।

सीएपीए के अनुसार भारत वार्षिक सीट क्षमता के अनुसार विश्व का नौवां सबसे बड़ा एविएशन बाज़ार है और सीएपीए का यह भी अनुमान है कि यह 2025 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाज़ार हो जाएगा । इस समय लगभग 80 भारतीय एअरपोर्ट अनुसूचित सेवाएं हैंडल करते हैं, जो 400 विमान बेड़े सहित 9 घरेलू एअरलाइनों द्वारा प्रचालित होती हैं। 70 से अधिक विदेशी यात्री और कार्गो एअरलाइन प्रचालक भी भारतीय एअरपोर्टों पर सेवाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारतीय एअरपोर्टों पर कुल यात्री यातायात 190 मिलियन से अधिक हुआ।

हवाई यातायात प्रबंधन (एटीएम) प्रक्रियाओं में विकास तथा प्रौद्योगिकी से अत्यधिक प्रगति हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016 के समाप्त होने के पहले एएआई के एक प्रखंड एअर नेवीगेशन सर्विसेस (एएनएस) के संभव निगमन से एक बहुत बड़ा संस्थागत परिवर्तन संरचना में योजनाबध्द किया गया है। इससे ग्राउंड हैंडलिंग और अनुषंगी गतिविधियों में अत्यधिक वृध्दि होगी और इस विकास से एआईएटीएसएल को फायदा होगा।

3. सतत सरोकार

कंपनी को 2012–13 से शुध्द लाभ हुआ है, जो 2012–13 में 50,64,197/– रूपए से बढ़कर 2015–16 में 101,40,78,865/– रूपए हो गया ।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति –2016 के आने से ऐसी आशा है कि भारत का ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र बिल्कुल रूपांतरित हो जाएगा – लगभग बहुत कम समय में तीसरी पार्टी के हैंडलरों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार का आकार बहुत बढ़ जाएगा। सीएपीए का अनुमान है कि यह बाज़ार अगले 10 वर्षों में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक हो जाएगा। एआईएटीएसएल के लिए तीसरी पार्टी की ग्राउंड हैंडलिंग हेतु विशेष रूप से बहुत बड़े बाज़ार का अवसर मिलेगा क्योंकि

यह आवश्यक है कि एअरपोर्ट प्रचालक यह सुनिश्चित करें कि एअर इंडिया की सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम सहित टर्मिनल और रैम्प हैंडलिंग दोनों के लिए नई नीति के अंतर्गत सभी प्रमुख एअरपोर्टों पर 3 ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां हैं और एआईएटीएसएल को इसकी वजह से लाभ होगा ।

4. मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2016 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्ट पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या 5161 थी। एअर इंडिया से एआईएटीएसएल में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए और स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1332 और 2068 थी ।

5. जोखिम कम करने की रणनीतियां

कंपनी लगातार जोखिम की अनुभूतियों की निगरानी करती है और विभिन्न छोरों पर जोखिमों को कम करने के लिए निवारक कार्रवाई करती है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

व्यावसायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन के संबंध में नियंत्रण, सभी प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए मैसर्स ककारिया एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को आंतरिक लेखा–परीक्षक नियुक्त किया गया है ।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निदेशक–मंडल

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से बारह के बीच होनी चाहिए ।

31 मार्च 2016 को निदेशक–मंडल

श्री अश्वनी लोहानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
श्री विनोद हेज़माडी निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड	एअर इंडिया मनोनीत निदेशक
सुश्री गार्गी कौल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	
श्री बलविंदर सिंह भुल्लर संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	

सुश्री गार्गी कौल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में श्री एस.एस. मोहंती के स्थान पर नियुक्त किया गया। कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में श्री एस.एस. मोहंती की सेवाएं 6 मई, 2015 से समाप्त हो गई हैं।

श्री अश्वनी लोहानी को अध्यक्ष के रूप में श्री रोहित नन्दन के स्थान पर नियुक्त किया गया। श्री रोहित नन्दन 31 अगस्त, 2015 से अध्यक्ष नहीं रहे।

श्री विनोद हेज़माडी को एअर इंडिया के मनोनीत निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड पर श्री एस. वेंकट के स्थान पर नियुक्त किया गया। श्री वेंकट 31 अक्तूबर, 2015 से निदेशक नहीं रहे।

कंपनी के निदेशक–मंडल में श्री रोहित नंदन द्वारा अध्यक्ष एवं श्री एस. वेंकट तथा श्री एस.एस. मोहंती द्वारा निदेशक के रूप में दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की बोर्ड द्वारा सराहना की गई।

वर्ष के दौरान, अध्यक्ष द्वारा निदेशक–मंडल की सभी बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की गई।

निदेशक–मंडल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप और निदेशकों के समिति पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक–मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक–मंडल की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं :

01 जुलाई, 2015 (53वीं बैठक)
28 सितम्बर, 2015 (54वीं बैठक)
28 दिसम्बर, 2015 (55वीं बैठक)
20 जनवरी, 2016 (56वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड / शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित 4 बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष (31 अगस्त, 2015 तक)	इतिहास में स्नातकोत्तर एवं यूके से एमबीए	1	अध्यक्ष एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड निदेशक एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	अध्यक्ष वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्थायी रूप से आमंत्रित लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सदस्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति, एअर इंडिया लिमिटेड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – एअर इंडिया लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति – भारतीय होटल निगम लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
श्री एस. वेंकट निदेशक (वित्त), एअर इंडिया लिमिटेड (31 अक्तूबर, 2015 तक)	बी.कॉम., एफसीए, एफसीडबल्यूए, एफसीएस एण्ड सीपीए (यूएस)	1	निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड विशेष आमंत्रित लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सहयोजित सदस्य स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सदस्य लेखा–परीक्षा समिति, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, लेखा–परीक्षा समिति, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
सुश्री गार्गी कौल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय (6 मई, 2015 से)	स्नातकोत्तर एम.फिल.	4	सरकारी निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड	सदस्य लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सीएसआर समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित 4 बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री बलविंदर सिंह भुल्लर संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर	3	<u>सरकारी निदेशक</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड	<u>सदस्य</u> नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड सीएसआर समिति, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
श्री अश्वनी लोहानी (31 अगस्त, 2015 से)	मैकेनिकल इंजीनियर एवं फेलो, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एण्ड ट्रांसपोर्ट	3	<u>अध्यक्ष</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड <u>निदेशक</u> एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एअर मॉरिशस लिमिटेड एअर मॉरिशस होल्डिंग लिमिटेड	<u>अध्यक्ष</u> वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन समिति, एअर इंडिया लिमिटेड स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>स्थायी रूप से आमंत्रित</u> लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>सदस्य</u> निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी समिति, एअर इंडिया लिमिटेड नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति– एअर इंडिया लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति – भारतीय होटल निगम लिमिटेड लेखापरीक्षा समिति– एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
श्री विनोद हेज़माडी (7 दिसम्बर, 2015 से)	बी.कॉम. एफसीए	2	<u>निदेशक</u> एअर इंडिया लिमिटेड एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड भारतीय होटल निगम लिमिटेड एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एअर इंडिया सैट्स एअरपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	<u>सदस्य</u> वित्त समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>विशेष आमंत्रित</u> लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>सहयोजित सदस्य</u> स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लिमिटेड <u>सदस्य</u> लेखापरीक्षा समिति, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, लेखापरीक्षा समिति, एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

बोर्ड समितियां

लेखापरीक्षा समिति

निगमित शासन के भाग के रूप में और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने नवंबर, 2014 में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया ।

31 मार्च, 2016 को लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे :

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड	सदस्य
एअर इंडिया मनोनीत सदस्य	सदस्य

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं :

- कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का निरीक्षण एवं निगरानी करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एवं आंतरिक एवं बाहरी लेखापरीक्षकों के बीच समन्वयन का सुनिश्चय करना तथा यह भी निर्धारण करना कि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकार के अनुरूप है।
- लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले लेखापरीक्षा के प्रकार एवं कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षकों से विचार–विमर्श करना।
- वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन के उत्तर की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहार का अनुमोदन या कोई संशोधन करना।
- अंतर्निगमित ऋणों एवं विनिवेशों की संवीक्षा करना।
- कंपनी की अंडरटेकिंग्ज़ अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों का मूल्यांकन करना।
- सार्वजनिक प्रस्तावों एवं संबंधित मामलों के माध्यम से उगाही गई तिथियों के अंतिम उपयोग की निगरानी ।
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य विषय पर विचार करना ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) :

वार्षिक आम बैठक सं.	बैठक की तिथि व समय	स्थान
10वीं	30 दिसम्बर 2013 1400 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001
11वीं	29 दिसम्बर 2014 1400 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001
12वीं	28 दिसम्बर 2015	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001

वार्षिक आम बैठक सं.	बैठक की तिथि व समय	विशेष प्रस्ताव
10वीं	30 दिसम्बर 2013 1400 बजे	
11वीं	29 दिसम्बर 2014 1400 बजे	कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को पुनर्व्यवस्थित करना एवं 100,00,00,000 रूपए से 1000,00,00,000 रूपए तक बढ़ाना
12वीं	28 दिसम्बर 2015	

अनुलग्नक I

सीएसआर नीति

क. पृष्ठभूमि

नए कंपनी अधिनियम, 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की संकल्पना उसका 'पालन' करने एवं उसका अनिवार्य रूप से उल्लेख करने के माध्यम से शुरू की गई है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड अथवा पब्लिक लिमिटेड, जिसका शुध्द मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अथवा 5 करोड़ रुपए का शुध्द लाभ है, उसे अपने औसत शुध्द लाभ का कम से कम 2% पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होगा। सीएसआर गतिविधियां कारोबार की सामान्य कार्यविधि में नहीं की जानी हैं और अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों में से किसी गतिविधि पर की जानी हैं। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में सीएसआर गतिविधियों को करने की रूपरेखा और उसके तरीके दिए गए हैं।

ख. सीएसआर नीति

I. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र या लक्ष्य

सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना है, ताकि सीएसआर को एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाए, जिससे उच्च प्रभाव प्रमाणित करने योग्य कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सकारात्मक सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित हो।

एआईएटीएसएल, कंपनी के प्रचालनों के क्षेत्र यथा एअरपोर्ट एवं नगर कार्यालय में एवं उसके आसपास सीएसआर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआईएटीएसएल सीएसआर बजट का 60% तक इन स्थानीय कम्युनिटीज़ के लिए आबंटित करने के लिए प्रतिबध्द है।

एआईएटीएसएल समाज के कमजोर, कम सुविधा वाले एवं मार्जिनलाइज्ड वर्ग को सशक्त बनाने की सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करेगी।

II. सीएसआर संगठन ढांचा

क. सीएसआर समिति

कंपनी की बोर्ड स्तर की उप समिति होगी, जिसे अब से सीएसआर समिति कहा जाएगा। इस समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा, यदि कोई हो तो। सीएसआर समिति की भूमिका/उत्तरदायित्वों में निम्न शामिल होगा:

(i) सीएसआर नीति तैयार करना व अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष सिफारिश करना।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों की सिफारिश करना।

(iii) उपर्युक्त खंड (ii) में संदर्भित गतिविधियों पर होने वाले व्यय के लिए सीएसआर बजट की सिफारिश।

(iv) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद सीएसआर गतिविधियों के लिए आबंटित राशि खर्च करना।

(v) कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर मॉनीटरिंग करना।

(vi) सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी मॉनीटरिंग प्रणाली बनाना।

(vii) प्रत्येक मामले में 50 लाख रुपए एवं उससे अधिक के आर्थिक मूल्य की परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियों को अनुमोदित करना।

(viii) किसी भी मूल्य की परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियां अनुमोदित करना, जो एआईएटीएसएल के फोकस क्षेत्र के बाहर हों ।

ख. सीएसआर कार्य समिति

सीएसआर कार्य समिति के सदस्यगण निम्न होंगे:

(i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष

(ii) वित्त प्रमुख

(iii) कार्मिक प्रमुख

(iv) कंपनी सचिव

सीएसआर कार्य समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में शामिल है:

(i) विभिन्न स्थानों से प्राप्त सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के लिए प्रस्तावों की समीक्षा करना।

(ii) अनुमोदित आबंटित बजट में से 10 लाख रुपए से कम मूल्य के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

III. सीएसआर का ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र – परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियां

(क) एआईएटीएसएल सीएसआर के ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र की परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियां बाल, महिला एवं समाज के कमजोर वर्ग के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय विकास नीतियों से प्रेरित है और बाल अधिकार, बाल विकास एवं शिक्षा संबंधी कानून से प्रेरित एवं राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एवं समाज / ग्रामीण विकास पर बनी नीतियों पर आधारित हैं।

(ख) कंपनी का प्रस्ताव अपनी सीएसआर गतिविधियां निम्न क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का है :

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पर्यावरण एवं सामाजिक विकास
- पीने का पानी
- ग्रामीण विकास
- शिशु देखभाल
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
- कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास
- पब्लिक पुस्तकालय
- पारंपरिक कला एवं हैंडीक्राफ्टस संवर्धन एवं विकास
- खेलकूद

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों का विस्तृत ब्रेक–अप प्राधिकार मैनुअल की सीमाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य क्षेत्र में किसी परियोजना / कार्यक्रम / गतिविधियों को करने से पहले सीएसआर समिति का अनुमोदन लिया जाएगा।

(ङ) ये परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियां निम्न में से किसी स्थान पर की जाएंगी।

- एआईएटीएसएल प्रचालन क्षेत्र / स्थान के समीप के क्षेत्र में
- योजना आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) जिलों में, जहां एआईएटीएसएल का सामरिक संयोजन हो

(च) सीएसआर परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियां कार्यान्वयन भागीदारों / विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कार्यान्वयन भागीदार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैः

- कोई पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट, कंपनी या कोई विशिष्ट एजेंसी, जिसे पंजीकरण के पश्चात इस प्रकार की गतिविधियों की हैंडलिंग में तीन वर्ष का अनुभव हो।
- किसी सरकारी निकाय अथवा पब्लिक सैक्टर उद्यम में कार्य करने का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी ।

तथापि, कार्यान्वयन भागीदार का चयन करते समय चयन प्राधिकारी आवेदक से अनिवार्य आधार पर किसी अन्य योग्यता के लिए निवेदन कर सकता है ।

IV. सीएसआर बजट / सीएसआर व्यय

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एआईएटीएसएल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के शुध्द लाभ का औसतन कम से कम 2% सीएसआर बजट के रूप में अलग रखेगी।

(ii) बजटीय आबंटनः

(क) बजट का कम से कम 60% प्रोजेक्ट मोड में गतिविधियों के लिए आबंटित किया जाएगा ।

(ख) कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कम्यूनिकेशन के लिए बजट की 5% तक राशि आबंटित की जाएगी।

(ग) शेष बजट एक बार अथवा अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए होगा ।

(घ) यदि कंपनी किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बजट व्यय नहीं करती, तो समिति को राशि व्यय न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक मंडल के पास लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा उस वित्तीय वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट में किया जाएगा। सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के कारण हुआ कोई अतिरिक्त व्यय कंपनी के कारोबार लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

V. मॉनीटरिंग प्रणाली

(i) मॉनीटरिंग प्रक्रिया दो तरह से निम्न के माध्यम से की जाएगी

(क) तिमाही आधार पर सीएसआर समिति ।

(ख) सीएसआर वर्किंग समिति एवं एंटीटिज़ के प्रतिनिधिगण, जिनके साथ कंपनी जुड़ना चाहती है, वे सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग का सुनिश्चय करेंगे। वे समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों की प्रगति के बारे में सीएसआर समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

(ii) उपर्युक्त के अलावा, वर्ष के अंत में बृहत परियोजनाओं के थर्ड पार्टी प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

VI. सीएसआर नीति एवं कार्यक्रमों का प्रकाशन

सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर नीति की विषय–वस्तु निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी और उसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

VII. नीति समीक्षा एवं भावी संशोधन

समिति सीएसआर नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुधार करेगी तथा उसे बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

अनुलग्नक–II

सीएसआर गतिविधियों पर परियोजना रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015–16

जिन परियोजनाओं/कार्यक्रमों को किया जाना है, उनके सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब–लिक का संदर्भ

- कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति अपनाई है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण, सामुदायिक विकास एवं खेलकूद शामिल है। कंपनी की नीति अपने व्यवसाय को जिम्मेदारीपूर्वक करने की है और सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए दीर्घावधि मूल्य को स्थापित करते हुए व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, विशेषकर हमारे प्रचालन के क्षेत्र के समीप के व्यक्तियों के। इसके अलावा, प्रधान मंत्री राहत कोष में अंशदान करना भी कंपनी की सीएसआर नीति का हिस्सा है।

- कंपनी पर्यावरण संवृध्दि एवं प्राकृतिक पूंजी समर्थक ग्रामीण विकास के लिए कार्य करेगी; कौशल विकास सहित शिक्षा को बढ़ावा देना; निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, स्वच्छता एवं पीने का पानी उपलब्ध कराना; व्यक्तियों के लिए जीवन–निर्वाह उपलब्ध कराना, खेलकूद परिरक्षण एवं संवर्धन, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता यथा अन्य राष्ट्रीय/राज्य अपेक्षाओं को पूरा करना तथा शैक्षणिक संस्थानों में अन्य सहायता के अलावा टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर्स के लिए निधि उपलब्ध कराना। इसके अलावा, कंपनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ भागीदारी में वहनीयता को प्रोत्साहन देना चाहेगी, जिससे उसके बहुविध प्रभाव हो।

- कंपनी, सीएसआर कार्यक्रम कंपनी के कार्मिकों या बाहरी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित करेगी और उसके उपयुक्त शासन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग का सुनिश्चय करेगी।

सीएसआर समिति की संरचना

हमारे यहां बोर्ड समिति (सीएसआर समिति) है, जो सीएसआर नीति के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करती है, ताकि यह सुनिश्चय हो कि सीएसआर उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। सीएसआर समिति में निम्न शामिल हैं:

श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष
सुश्री गार्गी कौल	सदस्य
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	सदस्य
श्री वी. हेजमाड़ी	सदस्य

पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कंपनी का औसत शुध्द लाभ रू.35,77,60,568 (रुपए पैंतीस करोड़ सतहत्तर लाख साठ हज़ार एवं पांच सौ अड़सठ मात्र)

निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 3 में दर्शाई राशि का दो प्रतिशत) रू. 71,55,211 (रुपए इकहत्तर लाख पचपन हज़ार एवं दो सौ ग्यारह मात्र)

वित्त वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि:

(क) वित्त वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि रू. 72,00,000/– (रुपए बहत्तर लाख मात्र)

(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई रू. 72,00,000/– (रुपए बहत्तर लाख मात्र)

(ग) वित्त वर्ष के दौरान किस प्रकार राशि व्यय की गई संलग्न अनुलग्नक देखें

यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुध्द लाभ की दो प्रतिशत राशि या उसके किसी हिस्से का व्यय नहीं करती, तो कंपनी को अपनी बोर्ड बैठक में व्यय न की गई राशि के कारण उपलब्ध कराने होंगे

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रू. 71,55,212/– रुपए व्यय करने थे और सीएसआर समिति के सदस्यों के प्रयासों से, कंपनी ने प्रधान मंत्री राहत कोष में अंशदान करके सीएसआर गतिविधियों पर रू. 71,55,212/– व्यय करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि कंपनी के लिए सीएसआर एक नई संकल्पना है, इसलिए वह लक्षित स्तर तक इन गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं कर सकी। तथापि, हमने कई प्रयासों के रूप में योगदान दिया है और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में सीएसआर गतिविधियों को जारी रखेंगे और अधिक योगदान देंगे।

सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग, सीएसआर उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुपालन में है ।

हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार सीएसआर नीति कार्यान्वित की गई है और हमारे सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करती है ।

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता./–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष–सीएसआर समिति

हस्ता./–
(अश्विनी शर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सीएसआर गतिविधियों पर परियोजना रिपोर्ट का अनुलग्नक

(राशि रुपए में)

स.	सीएसआर परियोजना या चुनी गई गतिविधि	जिस सैक्टर में परियोजना है	परियोजना या कार्यक्रम का स्थान	राशि परिव्यय या लागत (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई

(1) परियोजनाओं / कार्यक्रमों पर व्यय

1.	प्रधानमंत्री राहत कोष	प्रधानमंत्री राहत कोष	अखिल भारतीय	72,00,000	0	0	सीधे

(2) उप–परिव्यय

कृते एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

हस्ता./–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष–सीएसआर समिति

हस्ता./–
(अश्विनी शर्मा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अनुलग्नक - III

वर्ष 2015–16 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(3) के अनुसरण में

31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष का
फॉर्म संख्या एमजीटी 9 – वार्षिक विवरणी से उद्धरण

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरणी :

1.	सीआईएन	यू63090डीएल2003पीएलसी120790
2.	पंजीकरण की तारीख	9 जून, 2003
3.	कंपनी का नाम	एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001·
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी, नहीं
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हों, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
	वायु परिवहन की नैमित्तिक सेवा गतिविधियां	522	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा सहयोजित कंपनी का विवरण:

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीआईएन	होल्डिंग / सहायक / सहयोजित	शेयरों का %	लागू धारा
1	एअर इंडिया लिमिटेड 113 एयरलाइन्स हाऊस, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली – 110001.	यू62200डीएल2007जीओआई161431	होल्डिंग	100%	2 (46)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/हिंदू संयुक्त परिवार									
(ख) केन्द्र सरकार									
(ग) राज्य सरकार (रें)									
(घ) निगमित निकाय	-	50000	138424200	100		138424200	138424200	100	प्रदत्त पूंजी बढ़ाई गई
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च) कोई अन्य									
प्रवर्तक (क) की कुल शेयर धारिता		50000	138424200	100	-	138424200	138424200	100	प्रदत्त पूंजी बढ़ाई गई
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं									
(क) म्युचुअल फंड/यूटीआई									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार (रें)									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) वित्तीय संस्थान									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य (स्पष्ट करें) विदेशी बैंक									
उप–जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 को)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय									
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित									
iii) कार्यालय पदधारक									
iv) निदेशकगण									
v) हिंदु संयुक्त परिवार									
vi) विदेशी निगमित निकाय									
vii) विदेशी नागरिक									
viii) क्लीयरिंग सदस्य									
ix) न्यास									
x) विदेशी निकाय – डी आर									
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		50000	138424200	100		138424200	138424200	100	

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

क्र सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर / भारग्रस्त शेयरों का %	
1	एअर इंडिया लिमिटेड	50000	100	शून्य	138424200	100	शून्य	प्रदत्त पूंजी बढ़ाई गई

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	एअर इंडिया लिमिटेड	50000	100	138424200	100
	वर्ष के अंत में				
	एअर इंडिया लिमिटेड (मौजूदा शेयरधारकों को 138874200 और इक्विटी शेयर आबंटित करके प्रदत्त पूंजी बढ़ाई गई)	50000	100	138424200	100

घ) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशकगण, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर के अलावा):

क्र. सं.	10 शीर्ष शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	लागू नहीं				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ङ) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकगण तथा प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में धारित संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	श्री अश्वनी लोहानी (एअर इंडिया लिमिटेड के मनोनीत)	1	0	1	0
2	श्री विनोद हेज़माडी (एअर इंडिया लिमिटेड के मनोनीत)	1	0	1	0
	कुल	2	0	2	0

V. ऋणग्रस्तता – बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	**0**	**0**	**0**	**0**
i) मूल राशि	**0**	**0**	**0**	**0**
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	**0**	**0**	**0**	**0**
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	**0**	**0**	**0**	**0**
* परिवर्धन	**0**	**0**	**0**	**0**
* कमी	**0**	**0**	**0**	**0**
निवल परिवर्तन	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	**0**	**0**	**0**	**0**
i) मूल राशि	**0**	**0**	**0**	**0**
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	**0**	**0**	**0**	**0**
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक:

(अंकों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प						
3	स्वेट इक्विटी						
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल **(क)**						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

*कंपनी में कोई प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं ।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क						
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल **(1)**	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल **(2)**	-	-	-		-	-
	कुल **(ख) = (1 + 2)**	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(आंकड़े रुपयों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य अधिशासी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य अधिशासी अधिकारी
1	सकल वेतन		**	**	-
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		-	-	
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	
4	कमीशन	-	-	-	
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	
	कुल		-	-	

* सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं । केवल मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं।
** उप प्रबंधक–निगमित कार्य एअर इंडिया लिमिटेड के पद की ज़िम्मेदारियों के अलावा कंपनी सचिव का पद भी संभाल रही हैं ।

VII दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशकगण					
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड	-	-	-	-	-
सज़ा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

अनुलग्नक I

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
सीआईएन–यू63090डीएल2003पीएलसी120790
एयरलाइन्स हाउस,
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

मैंने एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (सीआईएन यू63090डीएल2003पीएलसी120790) (इसके बाद '**कंपनी**' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला और उस पर अपनी राय व्यक्त कर सका।

कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कार्यवृत्त की बहियों, दायर किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के आधार पर और इसके अलावा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों, सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि को रक्षित करते हुए ('**लेखापरीक्षा अवधि**') सामान्यतः इसके अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अतिरिक्त कंपनी के पास इसके नीचे दी गई रिपोर्टिंग की पद्धति से और उसके अधीन, कंपनी के पास उपयुक्त व्यापक आधार की प्रक्रियाएं एवं अनुपालन प्रणाली मौजूद है :

मैंने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए रिटर्न एवं शर्तें तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की है, जो निम्न हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम **(जहां तक वे लागू हों);**

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप विधियां **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों एवं टेक ओवर्स का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 (14 मई, 2015 तक) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (15 मई, 2015 से प्रभावी); **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम पंजीकार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट) विनियम, 1993, जो कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार करने के संबंध में है **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)** एवं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 1998 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

कंपनी की अभिभावी अनुपालन प्रणाली पर ध्यान देते हुए और कंपनी के पदनामित अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण–पत्रों / प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र के आधार पर कंपनी ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्न विधियों का अनुपालन किया है :

(क) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

(ख) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

(ग) कार्यस्थल पर (रोक, प्रतिषेध और निवारण) महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

जहां तक उपर्युक्त सूचीबद्ध के अलावा, प्रयोज्य निधियों का प्रश्न है, इस लेखापरीक्षा में उनकी समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि वे अन्य पदनामित अधिकारियों एवं व्यावसायिकों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं ।

मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(I) निदेशक–मंडल की बैठकों (एसएस–1) तथा आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ किए गए इक्विटी लिस्टिंग करार एवं ऋण लिस्टिंग करार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग की बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (1 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी) **(कंपनी पर लागू नहीं)**

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है :

i. कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, अतः लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं हुई ।

ii. जहां तक लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना का प्रश्न है, चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, अतः कंपनी ने कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) और धारा 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

iii. तारीख 26 फरवरी, 2015 तथा तारीख 01 जुलाई, 2015 को आयोजित बोर्ड बैठकों के बीच अंतर 120 दिनों से अधिक था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) का उल्लंघन है ।

इसके अलावा मैं रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा प्रयोज्य वित्तीय विधियों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधि के अनुपालन की समीक्षा लेखापरीक्षा में नहीं की गई है, चूंकि ये सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं पदनामित व्यावसायिकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है ।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में इसके ऊपर जो कुछ उल्लेख किया गया है, के अधीन निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए ।

बोर्ड की बैठकों के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए और बैठक के पहले और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण लेने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

प्रबंधन द्वारा जैसा प्रतिनिधित्व किया गया, बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए।

जैसाकि हमें अभ्यावेदन मिला और हमें स्पष्ट किया गया, मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऊपर संदर्भित कानून, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई जिसका कंपनी के मामलों पर भारी प्रभाव पड़े ।

हुसैन वाई. वाघ
व्यवसायी कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड एस2013एमएच227200)

एसीएस संख्या : 32996
व्यवसाय प्रमाण–पत्र संख्या – 12153

मुंबई
16 मार्च, 2017

यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ी जाए, जो **'परिशिष्ट क'** के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

'परिशिष्ट क'

सेवा में
सदस्यगण,
एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
सीआईएन–यू63090डीएल2003पीएलसी120790
एयरलाइन्स हाउस,
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली – 110001.

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. मैंने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा चलनों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। सत्यापन परीक्षण जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं चलन हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, मैंने विधियों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगम एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण, परीक्षण जांच के आधार पर क्रियाविधियों के सत्यापन तक सीमित था।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी का कारोबार किया है।

हुसैन वाई. वाघ
व्यवसायी कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड एस2013एमएच227200)

एसीएस संख्या : 32996
व्यवसाय प्रमाण–पत्र संख्या – 12153

मुंबई
16 मार्च, 2017

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) में विहित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 8 फरवरी, 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–
(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–I, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 31 मार्च, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य स्पष्टीकरणात्मक सूचना शामिल है ।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में दिए गए विषयों के लिए उत्तरदायी हैं, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग, निर्णय एवं अनुमान लगाना, जो युक्तिसंगत और बुद्धिमत्ता पूर्ण हों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनकी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, संबंधी लेखांकन अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे और जो सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हों एवं चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण वास्तविक असत्य कथन से मुक्त हों ।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों पर ध्यान दिया है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं एवं योजना का अनुपालन करें और यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वास्तविक असत्य कथन से मुक्त हों ।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा के प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियां शामिल होती हैं। चुनी गई क्रियाविधि वित्तीय विवरणों के वास्तविक असत्य कथन के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होता है, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो लेखापरीक्षा क्रियाविधियों को डिज़ाइन करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हों, लेकिन इस विषय पर राय व्यक्त करने के लिए न हों कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावकारिता मौजूद है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी क्वालिफाइड लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उपयुक्त होंगे।

क्वॉलिफाइड ओपिनियन का आधार :

1. कंपनी ने एएस–15 का अनुपालन नहीं किया है – ''कर्मचारी हितलाभ'', जो लेखाकरण मानक–15 के पैरा 50 तथा 51 की अपेक्षाओं के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात् अन्य चिकित्सा हितलाभ के सही परिमाण एवं मान्यता की हद तक । इसके बारे में समग्र प्रभाव का पता लगाया जाना शेष है।

2. वित्तीय विवरण पर टिप्पणी–35, 37 (घ) एवं 47 में यथा उल्लिखित शेष के समाधान/संपुष्टि से होने वाले निम्न समायोजनों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा रहा है :

   i) लेखापरीक्षण 505 पर मानक – कुछ प्राप्यों एवं देय राशियों का ''बाहरी साक्ष्य'' और उसका परिणामस्वरुप प्रभाव, यदि कोई हो, (सीआईएएल, एमआईएएल, एएआई, डीआईएएल)।

   ii) जैसाकि टिप्पणी 35 एवं 47 में उल्लेख किया गया है, वेंडरों, ग्राहकों तथा ऋण एवं अग्रिमों का समाधान।

3. वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड से कुछ आय तथा व्यय स्थानांतरित किया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड से स्थानांतरित आमदनी और खर्च के ब्यौरे टिप्पणी सं. 28 में दिखाए गए हैं। संबंधित सभी समर्थक दस्तावेज़, बीजक, वाउचर आदि और राजस्व एवं व्यय के स्थानांतरण के आधार कंपनी के कब्ज़े में नहीं हैं।

4. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार घटक लेखाकरण का पालन नहीं किया जा रहा है। परिसंपत्तियों के तकनीकी मूल्यांकन के अभाव में वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

5. कंपनी ने सुरक्षा राजस्व की 3.64 करोड़ रुपए राशि को एअर इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित नहीं किया है और पूर्वी क्षेत्र के कुछ सुरक्षा राजस्व को ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व (नोट 42) में शामिल किया गया है। अतः राजस्व एवं लाभ इस हद तक बढ़ गया है कि पूर्वी क्षेत्र के आंकड़ों को अभिनिश्चित किया जाना शेष है।

क्वॉलिफाइड ओपिनियन

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, क्वॉलिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित विषय के संभावित प्रभावों के अलावा, उक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी तरह देते हैं, जैसाकि अपेक्षित है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिध्दांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं :

क) तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च 2016 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;

ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; और

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का ।

मामलों पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 32 – कंपनी ने सुरक्षा कारोबार एअर इंडिया को स्थानांतरित किया है। यह मुख्य निर्णय निदेशक–मंडल के अनुमोदन के बिना लिया है। सुरक्षा कारोबार के स्थानांतरण के कारण लाभ एवं हानि लेखे पर उसके वित्तीय प्रभाव का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता।

2. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 – कंपनी में डीजीएफआई से प्राप्य एसईआईएस प्रोत्साहन के अंतर्गत 13.15 करोड़ रुपए लेखांकित किए हैं। हमारी राय में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं बाहर दी जाने वाली सेवाएं नहीं हैं, इसलिए दावे के लिए संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टि करना आवश्यक है।

3. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 30 – समूह कंपनी बकाया शेष पर कंपनी ने ब्याज प्रभारित किया है, जो मूल कंपनी की नीति के अनुसार है।

4. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 – एचएएल–एआई जेडबल्यूजी के साथ करार/अनुबंध रिकॉर्ड पर नहीं है। एचएएल–एआई जेडबल्यूजी के वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रविष्टि दर्ज़ की गई है । दस्तावेज़ के अभाव के वित्तीय प्रभाव का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सकता ।

5. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41 – राजस्व लेखापरीक्षक ने राजस्व की लीकेज और ओवर इन्वॉइसिंग दर्शाई है, लेकिन वित्तीय विवरण में इसका प्रभाव नहीं बताया गया है। तदनुसार लाभ अतिकथित/न्यूनकथित है।

6. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 43 – कुछ मामलों में लेवी और/या सेवा कर नहीं प्रभारित किया गया है ।

7. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 44 – कंपनी लेवी पर सेवा कर प्रभारित कर रही है और उसे लेवी लेजर में लेखांकित कर रही है लेकिन प्राधिकारियों को अदा नहीं कर रही है । समग्र प्रभाव अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है ।

8. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 46 – तीसरी पार्टी एअरलाइनों के साथ हैंडलिंग गतिविधियों के कुछ करार समाप्त हो गए हैं और तीसरी पार्टी द्वारा नए करार हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं ।

9. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 28 – पुराने और/अथवा विवरण और/अथवा लेजर के स्वरूप/नामावली कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

10. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 52 – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और 149(4) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है ।

11. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 52 – दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) का उल्लंघन है ।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी ओपिनियन क्वॉलिफाइड नहीं है ।

अन्य मामले

नीचे उल्लिखित रिकार्ड/वित्तीय संव्यवहार/सूचना उपलब्ध नहीं कराए गए हैं:

1. नियत अवधि के ठेके के कर्मचारियों का वैयक्तिक मास्टर रिकॉर्ड सत्यापन के लिए नहीं उपलब्ध कराया गया ।

2. वर्ष के दौरान विभिन्न क्रय आदेश/सेवा आदेश के लिए की गई टेंडर प्रक्रिया/करार सत्यापन के लिए नहीं उपलब्ध कराए गए।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश'), द्वारा यथापेक्षित हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक 'क' में दे रहे हैं ।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने क्वॉलिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख) उपर्युक्त क्वॉलिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित लेखा की उपयुक्त बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसाकि इन बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है ।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;

घ) क्वॉलिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ङ) उपर्युक्त क्वॉलिफाइड ओपिनियन पैरा के लिए आधार में वर्णित मामला हमारी राय में कंपनी के वित्त (निम्नकथन / अतिकथन) पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के संबंध में सरकारी कंपनी के लिए निदेशकों की अनर्हता लागू नहीं है ।

छ) लेखा एवं उससे जुड़े अन्य मामलों के अनुरक्षण के संबंध में उपर्युक्त क्वॉलिफाइड ओपिनियन पैरा के लिए आधार में उल्लेख किया गया है ।

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के विषय में तथा ऐसे नियंत्रणों की वास्तविक प्रभावशीलता के संबंध में अनुलग्नक "ख" में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें ।

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट नहीं किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 39 देखें ।

ii. कंपनी ने प्रयोज्य विधि या लेखाकरण मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित वास्तविक संभावित हानि, यदि कोई हो, डेरीवेटिव संविदाओं सहित, दीर्घावधि संविदाओं के लिए प्रावधान किया है ।

iii. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए राशि के स्थानांतरण का खंड कंपनी पर लागू नहीं है ।

ञ) कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथापेक्षित हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए **अनुलग्नक–ग** में एक विवरण दे रहे हैं ।

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 103869डबल्यू

हस्ता./-
सनदी लेखाकार अजय बी. जैन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 110372

स्थान : मुंबई
तारीख : 8 फरवरी, 2017

अनुलग्नक क

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** के सदस्यों को हमारी सम संख्यक तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक ।

ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त समझा और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. (क) कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरणों एवं स्थिति सहित परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उपयुक्त रिकार्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।

(ख) जैसाकि हमें सूचित किया गया है कंपनी की तीसरी पार्टी से अचल परिसंपत्तियों के दो वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की नीति है लेकिन सत्यापन नहीं किया/करवाया गया है ।

(ग) कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है, अतः खंड लागू नहीं है ।

2. एअर इंडिया लिमिटेड की बहियों में इन्वेंटरी दर्ज़ होने के कारण इसके वास्तविक सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता ।

3. रिकार्डों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। परिणामस्वरूप, आदेश के खंड iii (क) तथा (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते ।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों एविं प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 कंपनी पर लागू नहीं होती ।

5. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं, अतः जनता से जमा स्वीकार करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं होते ।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के प्रावधानों और केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागत अभिलेख अनुरक्षण और लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है। कंपनी ने लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है परंतु लागत रिकॉर्डों को उपलब्ध करवाना शेष है ।

7. (क) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप कर प्रयोज्य सीमा तक और कोई अन्य सांविधिक देय सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकरणों के यहां नियमित रूप से जमा की जाती है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2015 को कोई भी सांविधिक देय उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थे।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय कोई भी राशि ऐसी नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण न जमा की गई हो।

8. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों को देय पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है तथा कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं ।

9. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा ऋण प्रपत्र तथा मियादी ऋणों सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन जमा नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है ।

10. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के विरूध्द उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए खंड लागू नहीं है ।

12. हमारी राय में कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 4 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

13. हमारी राय में संबंधित पार्टियों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुसार हैं और लागू लेखाकरण मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरे का खुलासा किया गया है ।

14. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और मैनेजमेंट द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

15. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और मैनेजमेंट द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है ।

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 103869डबल्यू

हस्ता./-
सनदी लेखाकार अजय बी. जैन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 110372

स्थान : मुंबई
तारीख : 8 फरवरी, 2017

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वंतत्र लेखापरीक्षक की उसी दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संगठन द्वारा अपनाई गई नीतियों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा उसे बनाए रखना शामिल है जो कंपनी की नीतियों, उसकी परिसंपत्तियों को संरक्षित रखने, धोखे तथा त्रुटियों का पता लगाने एवं निवारण को सुनिश्चित करने के लिए लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता एवं परिपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा सक्षम संचालनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तौर पर कार्य कर रहे थे, जैसाकि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसरण में की है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन माना जाता है एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं, तथा दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं । उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस तरह योजनाबद्ध तथा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित तथा बनाए रखने एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधों में प्रभावी रूप से क्रियाशील होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी क्रियाशील प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, विद्यमान महत्वपूर्ण कमी की जोखिम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन तथा क्रियाशील प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है। धोखाघड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण विचलन की जोखिम के मूल्यांकन सहित, प्रक्रियाओं का चयन लेखा–परीक्षकों के विवेक पर निर्भर करता है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्रेत है वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित होते हुए ब्यौरेवार वर्णन के साथ यथार्थ तथा स्पष्ट रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों का संव्यवहार तथा स्थिति दर्शाती हैं। (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए गए हैं तथा केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही कंपनी

की प्राप्तियां तथा व्यय किए जा रहे हैं ऐसा उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं, और (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

सांठ–गांठ की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप विवरणों में वास्तविक विचलन हो सकता है तथा उनका पता नहीं चल सकता। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोख़िम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है।

क्वॉलिफाइड ओपिनियन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित प्रमुख कमियों की पहचान की गई है:

1. नियंत्रण की स्थापना में उच्च परिमाण एवं प्रमुख कमियों के बावजूद कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है ।
2. किसी भी विभाग / प्रक्रिया के लिए कंपनी की कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया नहीं है ।
3. कंपनी के पास आवधिक आधार पर शेष की पुष्टि प्राप्त करने एवं अमेल प्राप्य एवं देय के समाधान के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है ।
4. कंपनी के पास सेवा कर, टीडीएस, पीएफ आदि सहित सांविधिक देयताओं की कटौती, जमा एवं समाधान के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है ।
5. समय पर बीजक बनाने के लिए आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ किया जा रहा है। सेवाएं प्रदान करने पर हैंडलिंग सेवाओं से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है और यह संबंधित करार की शर्तों के अनुसार है। उपलब्ध कराई गई सेवाओं एवं बीजक बनाने के बीच समय का अंतराल है।
6. ग्रुप या समूह कंपनियों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के राजस्व की पुष्टि इन सेवाओं के लिए समर्थक दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पाई।
7. कंपनी के पास बकाया या पेंडिंग मुकदमों के वित्तीय प्रभाव की पहचान की प्रक्रिया नहीं है, चाहे प्रावधान या आकस्मिक देयता के रूप में ।
8. कुछ मामलों में यह देखा गया कि पार्टी / वेंडर बही के माध्यम से बारी–बारी या रोटेटिंग के बजाय डायरेक्ट बैंक एंट्री पास की गई है। नियंत्रण प्रमाणित नहीं किया जा सकता ।
9. लेखा–विधि में प्रविष्टि करते हुए, दस्तावेज़ों की एकरूपता नहीं बनाए रखी गई है यथा भुगतान प्रविष्टि आंरभिक कोड, दूसरे आरंभिक कोड के साथ जर्नल प्रविष्टियां आदि। अतः पहचान एवं संवीक्षा के लिए नियंत्रण प्रमाणित नहीं किया जा सकता ।
10. कंपनी के पास बीजकों के लिए एमबीएस प्रणाली है, परंतु सभी बीजक एमबीएस के माध्यम से नहीं बनाए जाते। क्षेत्रों द्वारा अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बीजक मैनुअल रूप से भी तैयार किए गए दिखाई दिए। संपूर्ण बीजक प्रणाली को कठोर स्वचालित नियंत्रण करने की आवश्यकता है ।
11. एमबीएस मास्टर रिकॉर्ड दरों एवं ग्राउंड हैंडलिंग करार दरों में अंतर पाया गया ।

12. कंपनी की राजस्व लेखा परीक्षा के दौरान अतिरिक्त एवं अल्प राजस्व बुकिंग के मामले देखे गए। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बीजकों को तैयार करने की प्रक्रिया में प्रमुख कमियां मौजूद हैं।

13. भारतीय वायु सेना (भारतीय पार्टी) के कुछ मामलों में, बीजक अमरीकी डॉलर में तैयार किए गए हैं।

14. कंपनी में लेखा विधि सैप में की जाती है, परंतु तैयारकर्ता एवं जांचकर्ता की संकल्पना का पालन नहीं किया जा रहा है। यह जनशक्ति की कमी के कारण है और इसका प्रभाव वित्तीय लेखाकरण में नियंत्रण मदों पर होता है।

15. एअर इंडिया लिमिटेड बिना समर्थक दस्तावेज़ों के खर्चों को नामे लिख रही है और राजस्व जमा कर रही है, जैसाकि नोट 28 में उल्लेख किया गया है। ऐसा कोई तरीका या युक्ति नहीं है, जिससे कंपनी द्वारा खर्चों/राजस्व को सत्यापित किया जा सके।

16. सैप सिस्टम में अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर रखा गया है, लेकिन उसे भी जैसा एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) का है, वैसे ही अपनाया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड से परिसंपत्तियों को अंतरित करते हुए वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है। अभी तक भी सभी स्टेशनों पर अचल परिसंपत्तियों की पहचान एवं वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है।

17. कंपनी के कुछ मामलों में आईडीएस प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, यानि आईडीएस की कटौती बुकिंग या भुगतान इनमें से जो भी पहले हो, उस समय करनी चाहिए।

18. कंपनी के पास तीसरी पार्टी एअरलाइनों के साथ हैंडलिंग गतिविधियों के करार, जो समाप्त हो गए हैं, उन्हें अद्यतन करने के लिए कोई उपयुक्त पध्दति नहीं है। यद्यपि, ऐसे करारों को जब तक तीसरी पार्टी एअरलाइन द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, तब तक उन्हें नवीकृत माना जाता है। दीर्घकाल में इस प्रकार के गैर–नवीकरण के कारण एआईएटीएसएल को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है ।

19. काफी मात्रा में कर्मचारी बल होने के बावजूद कंपनी के पास उपस्थिति एवं पे रोल के लिए स्वचालित नियंत्रण नहीं है।

20. सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण का मूल्यांकन एवं परीक्षण करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा नहीं है, जिसका सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से ली जाने वाली रिपोर्टों की पूर्णतः, यथार्थता एवं विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी अथवा कमियों का समूह 'महत्वपूर्ण कमी' कहलाती है, जिससे यह संभव है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में वास्तविक विचलन को रोका या फिर उसका समय पर पता न चल सके ।

हमारे मूल्यांकन में, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में किए गए उल्लेख के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ऊपर उल्लिखित वास्तविक कमियों के उपर्युक्त संकेत/संभव प्रभावों के अलावा, कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और 31 मार्च, 2016 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से क्रियात्मक थे ।

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 103869डबल्यू

हस्ता./-
सनदी लेखाकार अजय बी. जैन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 110372

स्थान : मुंबई
तारीख : 8 फरवरी, 2017

अनुलग्नक ग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त निदेशों/उप–निदेशों के अनुपालन में रिपोर्टिंग

1. यदि कंपनी विनिवेश के लिए चुनी जाती है, तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों एवं भूमि सहित) एवं दायित्वों (वचनबद्ध एवं सामान्य आरक्षिति) सहित के मूल्यांकन के संदर्भ में तरीके और विनिवेश प्रक्रिया की स्थिति सहित एक संपूर्ण स्टेटस रिपोर्ट जांची जाए ।

कंपनी विनिवेश के लिए नहीं चुनी गई है, अतः कंपनी पर खंड लागू नहीं होते ।

2. कृपया रिपोर्ट करें कि क्या छूट/कर्ज़/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में कोई मामले हैं। यदि हां, तो उसका कारण एवं संबंधित राशि।

ऐसी कोई छूट/बट्टे खाते में डालने संबंधी राशि का पता नहीं लगा है।

3. क्या तीसरे पक्षकारों के यहां पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में उपयुक्त रिकार्ड रखे गए हैं।

जैसाकि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान तीसरे पक्षकारों के यहां पड़ी कोई भी इन्वेंटरी नहीं है और न ही सरकार या अन्य से उपहार के रूप में परिसंपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

4. लंबित रहने के कारणों और मौजूदगी/विधिक मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) पर खर्च के लिए निगरानी प्रणाली की प्रभावकारिता के कारणों सहित लंबित विधिक/माध्यस्थम मामलों के उम्रवार विश्लेषण पर रिपोर्ट दी जाए।

जैसाकि हमें सूचित किया गया है, 12 विधिक/माध्यस्थम मामले लंबित हैं। मामलों का विवरण तालिका 'क' में संलग्न है।

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 103869डबल्यू

हस्ता./-
सनदी लेखाकार अजय बी. जैन
(भागीदार)
सदस्यता सं. 110372

स्थान : मुंबई
तारीख : 8 फरवरी, 2017

31.03.2016 को पेंडिंग मामलों की सूची – क) रिट याचिका–उच्च न्यायालय/ख) संदर्भ–औद्योगिक विवाद/ग) उपदान मामले–पी/जी अधिनियम 1972 के तहत नियंत्रण प्राधिकारी/घ) औद्योगिक मामले

क्र.सं.	न्यायालय	रिट याचिका सं.	दायरकर्ता	मामले का संक्षिप्त तथ्य	स्थिति	अभ्युक्तियां
1.	दिल्ली उच्च न्यायालय	रिट याचिका 7112/2008	श्री मुकेश	रैम्प सर्विस एजेंट के पद के लिए उसकी चिकित्सा अस्वस्थता को चुनौती	प्रबंधन का प्रति शपथ–पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। अंतिम निपटान के लिए अगली तारीख पोस्ट की गई है ।	दिल्ली कार्यालय द्वारा हैंडल की जा रही है।
2.	दिल्ली उच्च न्यायालय	कंपनी याचिका सं. 628/2013	जे.पी. एविशन सर्विसेस प्रा. लि.	18% वार्षिक की दर सहित एआईएटीएसएल के 1,18,90,441 रुपए के भुगतान करने की विफलता को देखते हुए कंपनी के परिसमापन की प्रार्थना।	सुनवाई के लिए अगली तारीख पोस्ट की गई है ।	दिल्ली कार्यालय द्वारा हैंडल की जा रही है।
3.	पटियाला हाउस कोर्ट–नई दिल्ली	सीसी सं. 148/21/13	एलईओ (सी), नई दिल्ली	संविदा मजदूर अधिनियम के उल्लंघन के लिए सीएल (आरएण्डए) अधिनियम की धारा 23/24 के अंतर्गत	सुनवाई के लिए अगली तारीख पोस्ट की गई है।	दिल्ली कार्यालय द्वारा हैंडल की जा रही है।
4.	केरल उच्च न्यायालय	रिट याचिका 12501/2013	श्री वी. पी. सोनी	विभिन्न पदों, याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित करने और वरिष्ठ रैम्प सर्विस एजेंट के पद पर पदोन्नति के लिए रोज़गार अधिसूचना को चुनौती देना	रिट याचिका मंजूर की गई है, अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबध्द की गई है।	
		रिट याचिका (सी) सं. 21571/2015	श्री निशांत टी. जी., रैम्प सर्विस एजेंट	उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के विरूध्द	माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी पुनःबहाली के लिए आदेश पारित किया है। हमने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है। तथापि, बीसीए ने उसे एईपी नहीं जारी किया है। न्यायालय ने बीसीए को एईपी जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।	यह मामला अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह रखा गया है।

क्र.सं.	न्यायालय	रिट याचिका सं.	दायरकर्ता	मामले का संक्षिप्त तथ्य	स्थिति	अभ्युक्तियां
		रिट याचिका (सी) सं. 23727/2016	श्री अली मुथे यू. पी., रैम्प सर्विस एजेंट	उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के विरूध्द	माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें याचिकाकर्ता की नौकरी समाप्ति पर रोक लगाई है और नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत एफटीसी पर याचिकाकर्ता को वापस पुनः नियुक्त किया जाना है।	प्रबंधन ने कथित अंतरिम आदेश के विरूध्द अपील करने का निर्णय लिया है जो प्रक्रियाधीन है।
		रिट याचिका (सी) सं. 32450/2016	श्री राजीव एस., वरिष्ठ सुरक्षा एजेंट	उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के विरूध्द	माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट पर पुनः नियुक्त करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है।	प्रबंधन ने कथित अंतरिम आदेश के विरूध्द अपील करने का निर्णय लिया है जो प्रक्रियाधीन है ।
5.	इलाहबाद उच्च न्यायालय– लखनऊ बेंच	रिट याचिका सं.81/2013	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	दिनांक 18.5.2012 के आदेश के अनुसार रैम्प सर्विस एजेंट के रूप में उसकी बर्खास्तगी को चुनौती देना	मंजूर करने के लिए सूचीबद्ध की गई । सुनवाई के लिए शीघ्र रखी जाएगी।	दिल्ली कार्यालय द्वारा हैंडल की जा रही है ।
6.	मद्रास उच्च न्यायालय	32951/2012	ग्लोबल फैसीलिटेशन मैनेजमेंट सर्विसेस	निविदा प्रक्रिया के दौरान अनर्हता को चुनौती	उपयुक्त बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया जाना है ।	
7.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय– अगरतला	रिट याचिका 68/2016	श्री प्रीतम मजूमदार, कस्टमर एजेंट	28.04.2015 को जारी उनकी सेवा समाप्ति को चुनौती देना	प्रबंधन द्वारा शपथ–पत्र दायर किया गया है । सुनवाई के लिए सूचीबध्द।	

क्र.सं.	न्यायालय	रिट याचिका सं.	दायरकर्ता	मामले का संक्षिप्त तथ्य	स्थिति	अभ्युक्तियां
8.	मुंबई उच्च न्यायालय	रिट याचिका सं. 3302/2009	श्री एच. डी. महाले	तारीख 16.11.2009 के आदेश के तहत रैम्प सर्विस एजेंट के रूप में उनकी सेवाओं की बर्खास्तगी को चुनौती	न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका संशोधित करने का निदेश दिया, मामला अभी सुनवाई के लिए आना बाकी है ।	
9.	मुंबई उच्च न्यायालय	लिखित याचिका 4772/2015 (अत्याचार मामला)	श्री के. सुरेश वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सहार पुलिस स्टेशन के विरूध्द	श्री एम.डी. मोकल, मास्टर विमान उपस्कर ऑपरेटर द्वारा दर्ज़ एफआईआर के रद्दकरण के लिए	7 जून, 2016 को सुनवाई के लिए सूचीबध्द किया गया परंतु सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तारीख के लिए स्थगित की गई है।	
संदर्भ–औद्योगिक अधिकरण						
	मुंबई					
1	सीजीआईटी–2/11/07		हेमांगी प्रभु एवं अन्य	सेवाओं की नियमितता	एमएम का साक्ष्य लिया जा रहा है।	
2	सीजीआईटी–1/15/07		बहुजन कामगार यूनियन	सेवाओं की नियमितता	एमएम का साक्ष्य लिया जा रहा है।	
	केरल					
1	2014 की आईडी–37		एआईसीएल एवं एअर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन	अधिक आउटसोर्सिंग एवं आरएसए को पदोन्नति न दिए जाने के लिए	सुनवाई चल रही है।	

क्र.सं.	न्यायालय	रिट याचिका सं.	दायरकर्ता	मामले का संक्षिप्त तथ्य	स्थिति	अभ्युक्तियां
उपदान संबंधी मामले–मुंबई						
1	एस.जी. घवली 1/36/2013		एस.जी. घवली–यूएआरडीपी	उपदान के लिए	मामले की सुनवाई आगे की तारीख के लिए स्थगित की गई है।	
2	श्री पी. मुत्थु 1/36 (29/2014)		पी.मुत्थु–यूएआरडी	उपदान के लिए	मामले की सुनवाई आगे की तारीख के लिए स्थगित की गई है ।	
औद्योगिक विवाद						
1	एआईईजी द्वारा आईडी–श्री एम.पी. देसाई, उपाध्यक्ष एवं चैक–ऑफ सिस्टम के स्थानांतरण के बारे में यह मामला प्राधिकारी के समक्ष 27.10.2016 को सुनवाई के लिए सूचीबध्द था और 28.11.2016 के लिए स्थगित किया गया।					

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों पर ध्यान दिया है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों की अपेक्षा होती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं एवं योजना का अनुपालन करें और यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वास्तविक असत्य कथन से मुक्त हों । किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा के प्रमाण प्राप्त करने के लिए क्रियाविधियां शामिल होती हैं। चुनी गई क्रियाविधि वित्तीय विवरणों के वास्तविक असत्य कथन के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर होता है, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण हो। उन जोखिम मूल्यांकनों के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो लेखापरीक्षा क्रियाविधियों को डिज़ाइन करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते है, जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हों, लेकिन इस विषय पर राय व्यक्त करने के लिए न हों कि क्या कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनगत प्रभावकारिता मौजूद है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता और समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी क्वालिफाइड लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उपयुक्त होंगे ।	**यह वास्तविक कथन है ।**
1	कंपनी ने एएस–15 का अनुपालन नहीं किया है – ''कर्मचारी हितलाभ'', जो लेखाकरण मानक–15 के पैरा 50 तथा 51 की अपेक्षाओं के अनुसार सेवानिवृत्ति पश्चात् अन्य चिकित्सा हितलाभ के सही परिमाण एवं मान्यता की हद तक। इसके बारे में समग्र प्रभाव का पता लगाया जाना शेष है।	**चूंकि स्थानांतरित कर्मचारियों को चिकित्सा हितलाभ होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया की बहियों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और अनुबंध के अनुसार वर्ष के अंत में खर्च को कंपनी के नामें लिखा जाता है ।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
2	वित्तीय विवरण पर टिप्पणी–35, 37 (घ) एवं 47 में यथा उल्लिखित शेष के समाधान/संपुष्टि से होने वाले निम्न समायोजनों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा रहा है :	
	i) लेखापरीक्षण 505 पर मानक – कुछ प्राप्यों एवं देय राशियों का ''बाहरी साक्ष्य'' और उसका परिणामस्वरुप प्रभाव, यदि कोई हो, (सीआईएएल, एमआईएएल, एएआई, डीआईएएल)।	**वित्तीय अभिलेखों के साथ समाधान पूरा हो चुका है और कंपनी ने विक्रेताओं से शेष की संपुष्टि पहले ही प्राप्त कर ली है।**
	ii) जैसाकि टिप्पणी 35 एवं 37 में उल्लेख किया गया है, वेंडरों, ग्राहकों तथा ऋण एवं अग्रिमों का समाधान।	**वित्तीय अभिलेखों या रिकॉर्ड के साथ समाधान पूर्ण किया गया है और कंपनी ने वेंडरों, ग्राहकों एवं अन्य विविध पार्टियों से पहले ही पुष्टि की है ।**
3	वर्ष के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड से कुछ आय तथा व्यय स्थानांतरित किया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड से स्थानांतरित आमदनी और खर्च के ब्यौरे टिप्पणी सं. 28 में दिखाए गए हैं। संबंधित सभी समर्थक दस्तावेज़, बीजक, वाउचर आदि और राजस्व एवं व्यय के स्थानांतरण के आधार कंपनी के कब्ज़े में नहीं हैं।	**स्टेशनों/क्षेत्रों द्वारा अंतरण किए गए हैं और संबंधित स्टेशनों पर सभी समर्थक एवं संबध्द दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं।**
4	कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार घटक लेखाकरण का पालन नहीं किया जा रहा है। परिसंपत्तियों के तकनीकी मूल्यांकन के अभाव में वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।	**परिसंपत्तियों (ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण) में शामिल घटक या कॉम्पोनेंट्स को यदि मूल परिसंपत्तियों से अलग कर दिया जाए तो उसका अलग से कोई जीवनकाल या मूल्य नहीं है । अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के अनुसार घटक गणना लागू नहीं है।**
5	कंपनी ने सुरक्षा राजस्व की 3.64 करोड़ रुपए राशि को एअर इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित नहीं किया है और पूर्वी क्षेत्र के कुछ सुरक्षा राजस्व को ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व (नोट 42) में शामिल किया गया है। अतः राजस्व एवं लाभ इस हद तक बढ़ गया है कि पूर्वी क्षेत्र के आंकड़ों को अभिनिश्चित किया जाना शेष है।	**यदि भविष्य में किसी प्रकार का अस्वीकरण हो तो, उसके लिए यह राशि रोक कर रखी गई है। सामान्यतः आएटा की तीसरी पार्टियां बिलिंग को अस्वीकार करने/या रिचार्ज करने के लिए 18 महीने ले सकती हैं। इसे राजस्व आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए रोक कर रखा गया है ।**
	क्वालिफाइड ओपिनियन	
	हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित विषय के संभावित प्रभावों के अलावा, उक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना उसी तरह देते हैं, जैसाकि अपेक्षित है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य	**लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है ।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	लेखाकरण सिध्दांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं : क) तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च 2016 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का; ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; और ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का । **मामलों पर बल** हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्न विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :	
	1 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 32 – कंपनी ने सुरक्षा कारोबार एअर इंडिया को स्थानांतरित किया है । यह मुख्य निर्णय निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना लिया है । सुरक्षा कारोबार के स्थानांतरण के कारण लाभ एवं हानि लेखे पर उसके वित्तीय प्रभाव का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता।	**यह वास्तविक कथन है ।**
	2 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 – कंपनी में डीजीएफआई से प्राप्य एसईआईएस प्रोत्साहन के अंतर्गत 13.15 करोड़ रुपए लेखांकित किए हैं । हमारी राय में, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं बाहर दी जाने वाली सेवाएं नहीं हैं, इसलिए दावे के लिए संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टि करना आवश्यक है।	**यह वास्तविक कथन है। उपयुक्त प्राधिकारी से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है ।**
	3 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 30 – समूह कंपनी बकाया शेष पर कंपनी ने ब्याज प्रभारित किया है, जो मूल कंपनी की नीति के अनुसार है।	**यह वास्तविक कथन है ।**
	4 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 – एचएएल–एआई जेडबल्यूजी के साथ करार/अनुबंध रिकॉर्ड पर नहीं है। एचएएल–एआई जेडबल्यूजी के वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रविष्टि दर्ज़ की गई है। दस्तावेज़ के अभाव के वित्तीय प्रभाव का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सकता।	**यह वास्तविक कथन है ।**
	5 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41 – राजस्व लेखा–परीक्षक ने राजस्व की लीकेज और ओवर इन्वॉइसिंग दर्शाई है, लेकिन वित्तीय विवरण में इसका प्रभाव नहीं बताया गया है। तदनुसार लाभ अतिकथित/न्यूनकथित है ।	**राजस्व लेखा परीक्षा की जा रही है और अंतरिम और/या अंतिम रिपोर्ट कंपनी के साथ शेयर नहीं की गई है। रिपोर्ट के उपलब्ध न होने से, इसका प्रभाव, यदि कोई है, तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता ।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	6 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 43 – कुछ मामलों में लेवी और/या सेवा कर नहीं प्रभारित किया गया है ।	**लेवी और/अथवा सेवा कर की सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और उसे वित्त वर्ष 2016–17 में प्रभारित किया गया है ।**
	7 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 44 – कंपनी लेवी पर सेवा कर प्रभारित कर रही है और उसे लेवी लेजर में लेखांकित कर रही है लेकिन प्राधिकारियों को अदा नहीं कर रही है। समग्र प्रभाव अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है।	**सेवा कर लेवी पर है (एएआई, डीआईएएल, एमआईएएल और सीआईएएल), जिसके भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित वेंडर का है, सेवा कर सहित लेवी के संग्रहण का विवरण आवधिक तौर पर वेंडरों को आवश्यक भुगतान संबंधी कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।**
	8 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 46 – तीसरी पार्टी एअरलाइनों के साथ हैंडलिंग गतिविधियों के कुछ करार समाप्त हो गए हैं और तीसरी पार्टी द्वारा नए करार हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं।	**एसजीएचए के अनुसार, करार उस समय तक वैध होते हैं, जब तक संबंधित किसी भी पार्टी द्वारा लिखित रूप में समाप्त नहीं किए जाते । कंपनी सेवा उपलब्ध कराती है और संबंधित पार्टियों द्वारा उसका भुगतान किया जा रहा है। जहां तक नवीकरण का प्रश्न है, कंपनी लिखित पुष्टि के लिए पार्टियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।**
	9 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 28–पुराने और/अथवा विवरण और/अथवा लेजर के स्वरूप/नामावली कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं।	**यह वास्तविक कथन है।**
	10 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 52 – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और 149(4) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।	**कंपनी एअर इंडिया की पूर्णतः सहायक कंपनी है। कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने के बारे में मामला एअर इंडिया द्वारा धारा 149(4) के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया गया है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति का गठन किया गया है और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।**
	11 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 52 – दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) का उल्लंघन है।	**यह वास्तविक कथन है ।**
	अन्य मामले	
	नीचे उल्लिखित रिकार्ड/वित्तीय संव्यवहार/सूचना उपलब्ध नहीं कराए गए हैं:	
	1. नियत अवधि के ठेके के कर्मचारियों का वैयक्तिक	**लेखापरीक्षा टिप्पणियों को नोट किया गया है।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	मास्टर रिकॉर्ड सत्यापन के लिए नहीं उपलब्ध कराया गया ।	
	2. वर्ष के दौरान विभिन्न क्रय आदेश/ सेवा आदेश के लिए की गई टेंडर प्रक्रिया/करार सत्यापन के लिए नहीं उपलब्ध कराए गए ।	
	अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट	
	1 अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में, केन्द्र सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश'), द्वारा यथापेक्षित हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक 'क' में दे रहे हैं ।	**यह वास्तविक कथन है ।**
	2 **कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :**	
	क) हमने क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;	**यह वास्तविक कथन है ।**
	ख) उपर्युक्त क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित लेखा की उपयुक्त बहियां कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसाकि इन बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।	**यह वास्तविक कथन है ।**
	ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;	
	घ) क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं;	
	ङ) उपर्युक्त क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा के लिए आधार में वर्णित मामला हमारी राय में कंपनी के वित्त	

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	(निम्नकथन / अतिकथन) पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के संबंध में सरकारी कंपनी के लिए निदेशकों की अनर्हता लागू नहीं है। छ) लेखा एवं उससे जुड़े अन्य मामलों के अनुरक्षण के संबंध में उपर्युक्त क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा के लिए आधार में उल्लेख किया गया है। ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के विषय में तथा ऐसे नियंत्रणों की वास्तविक प्रभावशीलता के संबंध में अनुलग्नक "ख" में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें और झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्न है : i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट नहीं किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 39 देखें । ii. कंपनी ने प्रयोज्य विधि या लेखाकरण मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित वास्तविक संभावित हानि, यदि कोई हो, डेरीवेटिव संविदाओं सहित, दीर्घावधि संविदाओं पर कोई प्रावधान नहीं किया है। iii. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के लिए राशि के स्थानांतरण का खंड कंपनी पर लागू नहीं है। ञ) कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथापेक्षित हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों पर कंपनी के लिए **अनुलग्नक–ग** में एक विवरण दे रहे हैं ।	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** के सदस्यों को हमारी सम संख्यक तारीख की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक। ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त समझा और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि	
1 (क)	कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरणों एवं स्थिति सहित परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उपयुक्त रिकार्ड अद्यतन करने की प्रक्रिया में है।	**यह वास्तविक कथन है।**
1 (ख)	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कंपनी की तीसरी पार्टी से अचल परिसंपत्तियों के दो वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की नीति है लेकिन सत्यापन नहीं किया/करवाया गया है।	**यह वास्तविक कथन है। परिसंपत्तियों के संपूर्ण वास्तविक सत्यापन के लिए बाहरी एजेंसी को शीघ्र ही नियुक्त करने का प्रस्ताव है।**
1 (ग)	कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है, अतः खंड लागू नहीं है।	**यह वास्तविक कथन है।**
2	एअर इंडिया लिमिटेड की बहियों में इन्वेंटरी दर्ज़ होने के कारण इसके वास्तविक सत्यापन का प्रश्न नहीं उठता।	**यह वास्तविक कथन है।**
3	रिकार्डों के सत्यापन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। परिणामस्वरूप, आदेश के खंड iii (क) तथा (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।	**यह वास्तविक कथन है।**
4	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटियों एविं प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 कंपनी पर लागू नहीं होती।	**यह वास्तविक कथन है।**
5	कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं, अतः जनता से जमा स्वीकार करने के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं होते।	**यह वास्तविक कथन है ।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
6	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के प्रावधानों और केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार लागत अभिलेख अनुरक्षण और लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है । कंपनी ने लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है परंतु लागत रिकॉर्डों को उपलब्ध करवाना शेष है ।	**यह वास्तविक कथन है।**
7 (क)	कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप कर प्रयोज्य सीमा तक और कोई अन्य सांविधिक देय सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकरणों के यहां नियमित रूप से जमा की जाती है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2015 को कोई भी सांविधिक देय उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थे।	**यह वास्तविक कथन है।**
7 (ख)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय कोई भी राशि ऐसी नहीं थी, जो किसी विवाद के कारण न जमा की गई हो।	**यह वास्तविक कथन है।**
8	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों को देय पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है तथा कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।	**यह वास्तविक कथन है।**
9	निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा ऋण प्रपत्र तथा मियादी ऋणों सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन जमा नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।	**यह वास्तविक कथन है।**
10	निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के विरूध्द उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।	**यह वास्तविक कथन है।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
11	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए खंड लागू नहीं है।	**यह वास्तविक कथन है।**
12	हमारी राय में कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश के खंड 4 (Xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।	**यह वास्तविक कथन है।**
13	हमारी राय में संबंधित पार्टियों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुसार हैं और लागू लेखाकरण मानकों की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरे का खुलासा किया गया है।	**यह वास्तविक कथन है।**
14	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और मैनेजमेंट द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का आबंटन नहीं किया है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	**यह वास्तविक कथन है।**
15	निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और मैनेजमेंट द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैरःनकदी संव्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।	**यह वास्तविक कथन है।**
16	हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।	**यह वास्तविक कथन है ।**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल)** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में की है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व** संगठन द्वारा अपनाई गई नीतियों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा उसे बनाए रखना शामिल है जो कंपनी की नीतियों, उसकी परिसंपत्तियों को संरक्षित रखने, धोखे तथा त्रुटियों का पता लगाने एवं निवारण को सुनिश्चित करने के लिए लेखाकरण रिकार्डों की यथार्थता एवं परिपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा सक्षम संचालनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तौर पर कार्य कर रहे थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यक है। **लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी** हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने हमारी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसरण में की है, जिन्हें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन माना जाता है एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं, तथा दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि	

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा इस तरह योजनाबद्ध तथा निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित तथा बनाए रखने एवं ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के संबंधों में प्रभावी रूप से क्रियाशील होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी क्रियाशील प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, विद्यमान महत्वपूर्ण कमी की जोख़िम का निर्धारण करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन तथा क्रियाशील प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण विचलन की जोखिम के मूल्यांकन सहित, प्रक्रियाओं का चयन लेखा–परीक्षकों के विवेक पर निर्भर करता है। हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त तथा उपयुक्त है। **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ** वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से अभिप्रेत है वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित होते हुए ब्यौरेवार वर्णन के साथ यथार्थ तथा स्पष्ट रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों का संव्यवहार तथा स्थिति दर्शाती है; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक संव्यवहार रिकार्ड किए गए हैं तथा केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय किए जा रहे हैं ऐसा उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों का अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराते हैं ।	

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा सांठ–गांठ की संभावना अथवा प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को हटाए जाने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप विवरणों में वास्तविक विचलन हो सकता है तथा उनका पता नहीं चल सकता। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की कोई भी वास्तविकता इस जोख़िम के अधीन होती है कि परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की गुणवत्ता अथवा मात्रा में अवनति हो सकती है। **क्वॉलिफाइड ओपिनियन** हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2016 को निम्नलिखित प्रमुख कमियों की पहचान की गई है:	
1	नियंत्रण की स्थापना में उच्च परिमाण एवं प्रमुख कमियों के बावजूद कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है ।	**वित्त वर्ष 2016–17 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया गया है, जबकि इसी एजेंसी ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए राजस्व लेखा परीक्षा की है ।**
2	किसी भी विभाग/प्रक्रिया के लिए कंपनी की कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया नहीं है।	**विभिन्न विभागों/कार्यविधि के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया बनाई जा रही है।**
3	कंपनी के पास आवधिक आधार पर शेष की पुष्टि प्राप्त करने एवं अमेल प्राप्य एवं देय के समाधान के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	**प्राप्य एवं देयताओं का समाधान आवधिक तौर पर किया जाता है। पध्दति अनुसार वेंडरों, ग्राहकों से वर्ष के अंत में शेष की पुष्टि की जाती है।**
4	कंपनी के पास सेवा कर, टीडीएस, पीएफ आदि सहित सांविधिक देयताओं की कटौती, जमा एवं समाधान के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	**सांविधिक देयताओं का संग्रहण और/या वसूली नियम (मों) के अनुसार की जाती है और नियत तारीख (खों) से पहले जमा करवा दी जाती है। आवधिक तौर पर सुव्यवस्थित रूप से समाधान किया जाता है।**
5	समय पर बीजक बनामे के लिए आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ किया जा रहा है। सेवाएं प्रदान करने पर हैंडलिंग सेवाओं से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है और यह संबंधित करार की शर्तों के अनुसार है। उपलब्ध कराई गई सेवाओं एवं बीजक बनाने के बीच समय का अंतराल है।	**यह वास्तविक कथन है।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
6	ग्रुप या समूह कंपनियों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के राजस्व की पुष्टि इन सेवाओं के लिए समर्थक दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पाई।	**उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए बीजक एअर इंडिया द्वारा शेयर दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो विमानों के संचलन पर निगरानी रखती है। ये दस्तावेज़ सत्यापन के लिए लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए हैं।**
7	कंपनी के पास बकाया या पेंडिंग मुकदमों के वित्तीय प्रभाव की पहचान की प्रक्रिया नहीं है, चाहे प्रावधान या आकस्मिक देयता के रूप में।	**इन मामलों की समीक्षा कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा हमेशा की जाती है।**
8	कुछ मामलों में यह देखा गया कि पार्टी/वेंडर बही के माध्यम से बारी–बारी या रोटेटिंग के बजाय डायरेक्ट बैंक एंट्री पास की गई है। नियंत्रण प्रमाणित नहीं किया जा सकता।	**यह वास्तविक कथन है। सैप के उपयुक्त प्रयोग पर प्रयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।**
9	लेखा–विधि में प्रविष्टि करते हुए, दस्तावेज़ों की एकरूपता नहीं बनाए रखी गई है यथा भुगतान प्रविष्टि आंरभिक कोड, दूसरे आरंभिक कोड साथ जर्नल प्रविष्टियां आदि। अतः पहचान एवं संवीक्षा के लिए नियंत्रण प्रमाणित नहीं किया जा सकता।	**यह वास्तविक कथन है। सैप के उपयुक्त प्रयोग पर प्रयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।**
10	कंपनी के पास बीजकों के एमबीएस प्रणाली है, परंतु सभी बीजक एमबीएस के माध्यम से नहीं बनाए जाते। क्षेत्रों द्वारा अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बीजक मैनुअल रूप से भी तैयार किए गए दिखाई दिए। संपूर्ण बीजक प्रणाली को कठोर स्वचालित नियंत्रण करने की आवश्यकता है।	**इस समय बिलिंग मॉड्यूल के लिए सैप के विकास का कार्य किया जा रहा है। यह वास्तविक कथन है।**
11	एमबीएस मास्टर रिकॉर्ड दरों एवं ग्राउंड हैंडलिंग करार दरों में अंतर पाया गया।	**भूल चूक की पहचान करने एवं उसे सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।**
12	कंपनी की राजस्व लेखा परीक्षा के दौरान अतिरिक्त एवं अल्प राजस्व बुकिंग के मामले देखे गए। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बीजकों को तैयार करने की प्रक्रिया में प्रमुख कमियां मौजूद हैं।	**आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ।**
13	भारतीय वायु सेना (भारतीय पार्टी) के कुछ मामलों में, बीजक अमरीकी डॉलर में तैयार किए गए हैं।	**आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।**
14	कंपनी में लेखा विधि सैप में की जाती है, परंतु तैयारकर्ता एवं जांचकर्ता की संकल्पना का पालन नहीं किया जा रहा है। यह जनशक्ति की कमी के कारण है और इसका प्रभाव वित्तीय लेखाकरण में नियंत्रण मदों पर होता है।	**सैप में तैयारकर्ता एवं जांचकर्ता की संरचना का संरूपण किया गया है । बेहतर नियंत्रण के लिए उपलब्ध जनशक्ति को तैनात करने के प्रयास जारी हैं।**
15	एअर इंडिया लिमिटेड बिना समर्थक दस्तावेज़ों के खर्चों को नामे लिख रही है और राजस्व जमा कर रही है, जैसाकि नोट 28 में उल्लेख किया गया है। ऐसा कोई तरीका या युक्ति नहीं है, जिससे कंपनी द्वारा खर्चों/राजस्व को सत्यापित किया जा सके।	**यह वास्तविक कथन है, वित्त वर्ष 2016–17 में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
16	सैप सिस्टम में अचल परिसंपत्तियों का रजिस्टर रखा गया है, लेकिन उसे भी जैसा एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) का है, वैसे ही अपनाया गया है। एअर इंडिया लिमिटेड से परिसंपत्तियों को अंतरित करते हुए वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है। अभी तक भी सभी स्टेशनों पर अचल परिसंपत्तियों की पहचान एवं वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है।	**यह वास्तविक कथन है। परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के लिए शीघ्र ही बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।**
17	कंपनी के कुछ मामलों में आईडीएस प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, यानि आईडीएस की कटौती बुकिंग या भुगतान इनमें से जो भी पहले हो, उस समय करनी चाहिए।	**यह वास्तविक कथन है। कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कटौतियों को कारगर बनाने की प्रक्रिया पर कार्य कर रही है ।**
18	कंपनी के पास तीसरी पार्टी एअरलाइनों के साथ हैंडलिंग गतिविधियों के करार, जो समाप्त हो गए हैं, उन्हें अद्यतन करने के लिए कोई उपयुक्त पध्दति नहीं है। यद्यपि, ऐसे करारों को जब तक तीसरी पार्टी एअरलाइन द्वारा समाप्त नहीं किया जाता, तब तक उन्हें नवीकृत माना जाता है। दीर्घकाल में इस प्रकार के गैर–नवीकरण के कारण उन्हें नवीकृत माना जाता है। दीर्घकाल में इस प्रकार के गैर–नवीकरण के कारण एआईएटीएसएल को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।	**आएटा की एसजीएचए पर करार आधारित हैं। ये करार तब तक वैध होते हैं, जब तक संबंधित पार्टियों द्वारा स्पष्टतया वापस नहीं लिए जाते हैं । तीसरी पार्टी एअरलाइनों द्वारा समय पर करारों का नवीकरण कराने के लिए प्रयास जारी हैं।**
19	काफी मात्रा में कर्मचारी बल होने के बावजूद कंपनी के पास उपस्थिति एवं पे रोल के लिए स्वचालित नियंत्रण नहीं है।	**यह वास्तविक कथन है। सैप से जुड़ी एकीकृत उपस्थिति प्रणाली एअर इंडिया एवं उसकी सभी सहायक कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन के अधीन है ।**
20	सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण का मूल्यांकन एवं परीक्षण करने के लिए कंपनी के पास प्रभावी सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा नहीं है, जिसका सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से ली जाने वाली रिपोर्टों की पूर्णतः, यथार्थता एवं विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी अथवा कमियों का समूह 'महत्वपूर्ण कमी' कहलाती है, जिससे यह संभव है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों में वास्तविक विचलन को रोका या फिर उसका समय पर पता न चल सके ।	**यह वास्तविक कथन है।**

अनुलग्नक ग

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश	लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव	प्रबंधन के उत्तर
1	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चुनी जाती है, तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों एवं भूमि सहित) एवं दायित्वों (वचनबद्ध एवं सामान्य आरक्षिति) सहित के मूल्यांकन के संदर्भ में तरीके और विनिवेश प्रक्रिया की स्थिति सहित एक संपूर्ण स्टेटस रिपोर्ट जांची जाए।	कंपनी विनिवेश के लिए नहीं चुनी गई है, अतः कंपनी पर खंड लागू नहीं होते।	शून्य	कंपनी को विनिवेश के लिए नहीं चुना गया है।
2	कृपया रिपोर्ट करें कि क्या छूट/कर्ज़/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में कोई मामले हैं । यदि हां तो उसका कारण एवं संबंधित राशि ।	ऐसी कोई छूट/बट्टे खाते में डालने संबंधी राशि का पता नहीं लगा है।	शून्य	वर्ष के दौरान, कर्ज़/ऋण/ब्याज में छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या तीसरे पक्षकारों के यहां पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में उपयुक्त रिकार्ड रखे गए हैं।	जैसाकि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान तीसरे पक्षकारों के यहां पड़ी कोई भी इन्वेंटरी नहीं है और न ही सरकार या अन्य से उपहार के रूप में परिसंपत्तियां प्राप्त हुई हैं ।	शून्य	वर्ष के दौरान तीसरे पक्षकार के पास कोई इन्वेंटरी नहीं पड़ी है। इसके अलावा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
4	लंबित रहने के कारणों और मौजूदगी/विधिक मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) पर खर्च के लिए निगरानी प्रणाली की प्रभावकारिता के कारणों सहित लंबित विधिक/माध्यस्थम मामलों के उम्रवार विश्लेषण पर रिपोर्ट दी जाए ।	जैसाकि हमें सूचित किया गया है, 12 विधिक/ माध्यस्थम मामले लंबित हैं। मामलों का विवरण तालिका 'क' में संलग्न है ।	शून्य	लंबित विधिक मामलों का उम्रवार विश्लेषण पहले ही लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया गया है। ये मामले न्यायालय/ प्राधिकरण के समक्ष लंबित होने के विभिन्न चरणों में हैं और क्लीयरेंस के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों के मामले में, जो मुख्यतः मज़दूरी से संबंधित हैं, उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं।

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)
(राशि रुपए में)

विवरण	टिप्पणियां	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
I इक्विटी और देयताएं :			
1 **शेयरधारकों की निधियां :**			
(क) शेयर पूंजी	2	**1,384,242,000**	500,000
(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**1,918,328,879**	904,250,014
(ग) शेयर वॉरंट पर प्राप्त राशि		-	-
		3,302,570,879	904,750,014
2 शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन		**-**	1,383,742,000
3 **गैर–वर्तमान देयताएं :**			
(क) दीर्घावधि उधार		-	-
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	4	-	-
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	**3,070,000**	2,870,000
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	6	**1,617,052,629**	1,447,232,503
		1,620,122,629	1,450,102,503
4 **वर्तमान देयताएं :**			
(क) अल्पावधि उधार		-	-
(ख) व्यापार देयताएं	7	**86,799,634**	57,272,986
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	8	**800,772,985**	590,871,984
(घ) अल्पावधि प्रावधान	6	**329,701,706**	322,171,375
		1,217,274,325	970,316,346
कुल		**6,139,967,833**	**4,708,910,863**
II परिसंपत्तियां :			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
1 (क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9	**1,377,843,295**	1,552,518,219
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
(iii) चालू पूंजीगत कार्य		-	-
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
		1,377,843,295	1,552,518,219
(ख) गैर–वर्तमान निवेश		-	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	4	**115,124,668**	113,795,908
(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	10	**709,982,816**	164,543,691
(ड़) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां		-	-
		825,107,484	278,339,599
		2,202,950,779	1,830,857,818
2 **वर्तमान परिसंपत्तियां**			
(क) वर्तमान निवेश		-	-
(ख) इन्वेंटरीज़		-	-
(ग) व्यापार से प्राप्य	11	**3,223,017,283**	2,419,164,592
(घ) नकदी और बैंक शेष	12	**551,061,084**	450,830,034
(ड़) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	10	-	-
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	**162,938,687**	8,058,419
		3,937,017,055	2,878,053,045
कुल		**6,139,967,833**	**4,708,910,863**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का विवरण एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	1		

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103869डबल्यू

हस्ता./–
अजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 110372
स्थान : मुंबई
तारीख: 8 फरवरी, 2017

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
श्री अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष

हस्ता./–
श्री विनोद हेजमाडी
निदेशक

हस्ता./–
श्री संजीव दुआ
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
कैप्टन ए.के. शर्मा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती पूनम भारवानी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तारीख: 8 फरवरी, 2017

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण

(सभी आंकड़े भारतीय रुपयों में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)
(राशि रुपए में)

	विवरण	टिप्पणियां	2015-16	2014-15
I	प्रचालनों से राजस्व (सकल):			
	- हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व	14	**5,943,017,535**	6,449,330,355
II	अन्य आय:	15	**425,992,936**	20,791,631
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**6,369,010,471**	**6,470,121,986**
IV	व्यय :			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	16	**4,055,538,314**	4,413,288,461
	वित्त लागत	17	**-**	798,155
	मूल्यह्रास और परिशोधन	18	**179,336,158**	156,098,523
	अन्य व्यय	19	**1,110,263,335**	842,510,296
	कुल व्यय		**5,345,137,808**	**5,412,695,435**
V	**विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ** (III-IV)		1,023,872,663	1,057,426,551
VI	विशिष्ट मदें		**1,383,742**	19,869,000
	पूर्वावधि समायोजन (निवल)		(25,261,185)	-
VII	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**1,047,750,106**	**1,037,557,551**
VIII	असाधारण मदें		-	-
IX	**कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**		**1,047,750,106**	**1,037,557,551**
X	कर व्यय :			
	1. वर्तमान कर		**35,000,000**	237,500,000
	2. कर का प्रावधान कम/(अधिक)		**-**	-
	3. आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)		**(1,328,760)**	(106,764,919)
XI	**जारी प्रचालन से अवधि का लाभ (IX-X)**		**1,014,078,865**	**906,822,470**
XV	**अवधि का लाभ (IXV+XI)**		**1,014,078,865**	**906,822,470**
XVI	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन :			
	मूल		7.33	18,136.45
	तनुकृत		7.33	6.55

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103869डबल्यू

हस्ता./–
अजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 110372
स्थान : मुंबई
तारीख: 8 फरवरी, 2017

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
श्री अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष

हस्ता./–
श्री विनोद हेजमाडी
निदेशक

हस्ता./–
श्री संजीव दुआ
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
कैप्टन ए.के. शर्मा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती पूनम भारवानी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तारीख: 8 फरवरी, 2017

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16		2014-15	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ		1,047,750,106		1,037,557,551
निम्न के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास/परिशोधन	179,336,158		156,098,523	
कर वापसी पर प्राप्त ब्याज	(13,215)		(2,085,480)	
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय	-	179,322,943	-	154,013,043
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,227,073,049**		1,191,570,594
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(803,852,691)		(1,349,330,774)	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(154,880,268)		(7,918,919)	
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	142,350,459		1,537,113,589	
वर्तमान देयताओं एवं व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	239,627,648	(576,754,853)	477,019,071	656,882,967
		650,318,197		**1,848,453,561**
प्रचालनों से प्राप्य नकदी				
प्रदत्त आयकर (धन–वापसी का निवल)		(554,748,381)		(26,195,200)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी		**95,569,816**		**1,822,258,361**
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		4,661,234		6,868,554
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी		**4,661,234**		**6,868,554**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह *		-		(1,383,742,000)
नकदी और नकदी समानकों में निवल (कमी)/वृद्धि		**100,231,050**		**445,384,915**
नकदी और नकदी समानक				
– वर्ष के आरंभ में		450,830,034		5,445,119
– वर्ष की समाप्ति पर		551,061,084		450,830,034
		100,231,050		**445,384,915**
नकदी एवं नकदी तुल्य घटक				
हाथ में नकदी		2,215		13,029
चालू खाते में शेष		551,058,869		450,817,005
		551,061,084		**450,830,034**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं व्याख्यात्मक नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

*** एअर इंडिया से एआईएटीएसएल में दर्शाए गए परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को इक्विटी निवेश माना जाए एवं शेयर आबंटित किए जाएं।**

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103869डबल्यू

हस्ता./–
श्री अजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 110372
स्थान : मुंबई
तारीख: 8 फरवरी, 2017

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
श्री अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष

हस्ता./–
विनोद हेजमाडी
निदेशक

हस्ता./–
संजीव दुआ
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
कैप्टन ए.के. शर्मा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती पूनम भारवानी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तारीख: 8 फरवरी, 2017

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का भाग निर्मित करने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी ''1''

क. निगमित जानकारी

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा हैंडलिंग गतिविधियों को हाइव–ऑफ करने के परिणामस्वरूप, कंपनी को एअर इंडिया एवं उसकी ग्रुप कंपनियों एवं भारत में प्रचालन करने वाली तीसरी पार्टी एअरलाइनों की ग्राउंड हैंडलिंग एवं अन्य हैंडलिंग गतिविधियां उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है (बैंगलुरू, दिल्ली, हैदराबाद, मंगलुरू एवं तिरूवनंतपुरम को छोड़कर) ।

ख. लेखाकरण परिपाटी

i) यह वित्तीय विवरण, मूल लागत रीतियों के तहत प्रोद्भूत आधार पर (विशेष रूप से स्पष्ट किए गए कथन को छोड़कर), गोइंग कन्सर्न अवधारणा पर तैयार किए गए हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं।

ii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को उन आकलनों और मान्यताओं को निर्धारित करना अपेक्षित होता है, जो वित्तीय विवरण की तिथि के दिन परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की राशि तथा प्रासंगिक देयताओं की प्रस्तुति और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/तथ्यपरक होते हैं, उसी समय वास्तविक परिणाम और आकलनों के बीच का अंतर भी पता चल पाता है।

iii) कंपनी सेवा सेक्टर में होने के कारण कोई विशेष प्रचालन साइकिल नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 के शैड्यूल–III के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार 12 माह की अवधि को 'प्रचालन साइकिल' के रूप में अपनाया गया है।

ग. विशिष्ट लेखांकन नीतियां

1. अचल परिसंपत्तियां

क) परिसंपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण लागत पर रिकार्ड की जाती हैं। अधिग्रहण लागत में आयात शुल्क एवं अन्य अपरिदाय करों या उपकरों सहित इसका क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को इसके संबंधित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है । क्रय मूल्य निकालने के लिए व्यापारिक छूट और रियायतें, यदि कोई हैं, तो घटा दी जाती हैं ।

ख) परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है, ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति को हर दो वर्ष में सत्यापित किया जा सके और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जा सके, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

2. मूल्यह्रास/परिशोधन

क) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है ।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनका उपयोगी आर्थिक जीवन होता है, उन्हें अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है ।

ग) छोटे मूल्य की परिसंपत्तियों को, जो प्रत्येक मामले में 5000 भारतीय रुपए से अधिक की न हों, उन्हें खरीद के वर्ष में पूरी तरह उपबंधित किया जाता है ।

3. राजस्व को मान्यता

क) ग्राउंड हैंडलिंग एवं अन्य संबंधित सेवाओं को सेवाएं प्रदान करने पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बिल न की गई सेवाएं उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होती हैं और उनका राजस्व के रूप में आकलन किया जाता है और मान्यता दी जाती है ।

ख) ब्याज से आय को समय के अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

ग) अन्य प्रचालन राजस्व को वर्ष के दौरान सेवाएं प्रदान करने पर मान्यता दी जाती है।

4. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

उन ऋणों को छोड़कर, जिनकी वसूली की आशा हो, सरकार/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वे तीन वर्ष से अधिक पुराने हों। अन्य सभी ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वे तीन वर्ष से अधिक पुराने हों या विशेष रूप से संदिग्ध माने जाते हों।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) आईसीएच बिलों का इंटरलाइन समायोजन संबंधित महीने के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया गया ।

ख) वर्ष के अंत में विदेशी विनिमय मौद्रिक मदों की भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा वर्ष के अंत में परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और विनिमय दर में हुए उतार–चढ़ाव के कारण जो लाभ/हानि हुई है, उसे लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

ग) उन कर्ज़ों एवं ऋणों तथा अग्रिमों के संबंध में वर्ष के अंत में विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया, जिसके लिए अशोध्य प्रावधान मौजूद हों ।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ :

कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ में परिभाषित अंशदान योजनाएं एवं परिभाषित लाभ योजनाएं शामिल हैं ।

क) परिभाषित अंशदान योजना में कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान किया जाता है। पैतृक कंपनी में भविष्य निधि अंशदान के प्रबंधन के लिए अलग न्यास(सों) है, जिसके लिए नियमित रूप से अंशदान किया जाता है ।

ख) कंपनी की परिभाषित हितलाभ योजनाएं, जिनका निधियन नहीं होता है, उनमें उपदान, चिकित्सा अवकाश और सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभों सहित अवकाश नकदीकरण शामिल होता है। चिकित्सा लाभों एवं अन्य लाभों को छोड़कर, इन लाभों का दायित्व भारतीय विधियों के अनुसार, वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के अंतर्गत बीमांककता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

7. आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

कर दरों और विधियों का प्रयोग करके, जो अधिनियमित हुई हों या तुलन–पत्र की तारीख को बाद में अधिनियमित हुई हों, बही और कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतर को मान्यता दी जाती है । आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है और उस सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है कि प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्संरचना राजस्व निर्माण एवं कंपनी का लागत कमी कार्यक्रम पर आधारित वास्तविक निश्चितता हो कि भविष्य में परिसंपत्तियां प्राप्त होंगी ।

8. प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

क) माप के अनुमान की पर्याप्त डिग्री वाले प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हों और ऐसा संभव हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा ।

ख) हर मामले में 10 लाख भारतीय रुपए से अधिक की प्रासंगिक देयताएं, संभावित दायित्वों के संबंध में प्रकट की जाती हैं, जो पिछली घटनाओं से आई हों, लेकिन उनकी मौजूदगी एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने द्वारा संपुष्ट हो, जो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में न हों।

ग) प्रासंगिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है ।

9. अन्य देयताएं

देयताएं, जो तीन वर्षों से पुरानी हों, उन्हें पुनः लिखा जाता है, जब तक ऐसे दायित्व विशेष रूप से भविष्य में देय जाने जाएं ।

10. पूर्वदत्त व्यय / व्यय के लिए देयता

यदि प्रत्येक मामले में 10 हज़ार भारतीय रूपए या उससे अधिक हों, तो पूर्वदत्त व्ययों की देयता को मान्यता दी जाती है ।

टिप्पणी "2" : शेयर पूंजी

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत पूंजी				
प्रत्येक रु.10/– के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**10,000,000,000**	1,000,000,000	10,000,000,000
		10,000,000,000		1,000,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त पूंजी				
प्रत्येक रु.10/– के इक्विटी शेयर	**138,424,200**	**1,384,242,000**	50000	500,000
	138,424,200	**1,384,242,000**	50000	500,000

एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है।

i **5% से अधिक शेयरधारकों का विवरण :**

(राशि रुपए में)

शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%
एअर इंडिया लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी	**138,424,200**	**100**	50000	100

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टर सहित उपर्युक्त शेयरधारक शेयरों के कानूनी स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ii **वर्ष के आरंभ एवं वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान :**

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में	**50,000**	**500,000**	50000	500,000
अवधि के दौरान निर्गमित	**138,374,200**	**1,383,742,000**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	**138,424,200**	**1,384,242,000**	50000	500,000

iii कंपनी ने केवल एक श्रेणी के शेयर जारी किए हैं, जिसे इक्विटी शेयर कहा गया है, जिसका प्रति शेयर मूल्य रु.10/– है. इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत के लिए हकदार है। कंपनी के समापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक सभी बाहरी देयताओं के भुगतान के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण सभी वरीयता राशियों के वितरण के बाद, यदि कोई हों, शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के समानुपात में होगा।

iv बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले/आबंटित किए जाने की कोई घटना नहीं थी या नकद के अलावा किसी अन्य के लिए जारी नहीं किया गया और तुलन–पत्र की तारीख से ठीक पिछले पांच वर्षों में कंपनी द्वारा कोई शेयर वापस नहीं खरीदा गया।

टिप्पणी "3" : आरक्षित निधियां और अधिशेष

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार शेष		**904,250,014**		(2,572,456)
जोड़ें :				
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	1,014,078,865		906,822,470	
घटाएं:				
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-		-	
अंतरिम लाभांश	-		-	
निवल अधिशेष		1,014,078.865		906,822,470
कुल आरक्षित निधियां और अधिशेष		**1,918,328,879**		904,250,014

टिप्पणी "4" : आस्थगित कर देयता (निवल)

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को		31 मार्च 2015 को	
निम्न के कारण आस्थगित कर देयता (डीटीएल)				
मूल्यह्रास	**45,114,943**		31,374,538	
कुल आस्थगित कर देयता		**45,114,943**		31,374,538
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए)				
असमाहित मूल्यह्रास	-		-	
अन्य कर डिसअलाउंसेस	**160,239,611**	**160,239,611**	145,170,447	145,170,447
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति		**115,124,668**		113,795,908

टिप्पणी "5" : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
बयाना राशि जमा	**3,070,000**	2,870,000
कुल	**3,070,000**	2,870,000

टिप्पणी "6" : प्रावधान

(राशि रुपए में)

विवरण	दीर्घावधि		अल्पावधि	
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	**31 मार्च 2016**	31 मार्च 2015
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**438,424,157**	469,680,212	**104,157,532**	40,344,007
उपदान के लिए प्रावधान	**941,128,472**	977,552,291	**190,544,174**	44,327,368
कर के लिए प्रावधान	**237,500,000**	-	**35,000,000**	237,500,000
कुल	**1,617,052,629**	1,447,232,503	**329,701,706**	322,171,375

निम्न तालिका में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए निवल लाभ व्यय घटकों का सारांश दिया गया है और तुलन–पत्र में निधिदत्त स्थिति और राशियों को मान्यता दी गई है।

उपदान

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
लाभदायित्व में परिवर्तन		
वर्ष के आरंभ में देयता	**1,021,879,659**	613,820,678
ब्याज लागत		
वर्तमान सेवा की लागत	**337,895,369**	269,926,511
पिछली सेवा की लागत		-
प्रदत्त लाभ	**-228,102,382**	(250,615,397)
बीमांकक हानि (लाभ)	**-**	388,747,867
कुल	**1,131,672,646**	1,021,879,659

विवरण	2015-16	2014-15
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का सही मूल्य		
वर्ष के आरंभ में सही मूल्य	-	-
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
बीमांकक हानि / (लाभ)	-	-
कुल	**-**	**-**

(राशि रुपए में)

विवरण		2015-16	2014-15
बीमांकक लाभ/हानि			
देयता पर		-	388,747,867
परिसंपत्तियों पर		-	
	कुल	-	388,747,867

विवरण		2015-16	2014-15
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रतिफल			
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल		-	-
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर बीमांकक लाभ/हानि		-	-
	कुल	-	-

विवरण	2015-16	2014-15
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त राशि		
वर्ष के अंत में देयताएं	**1,131,672,646**	1,021,879,659
वर्ष के अंत में योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का सही मूल्य	**-**	-
अंतर	**-**	
पिछली सेवा लागत, जिसे मान्यता न दी गई हो	**-**	-
तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त (देयता)/परिसंपत्ति		
ब्रेक–अप	**1,131,672,646**	(1,021,879,659)
वर्तमान	**190,544,174**	44,327,368
गैर–वर्तमान	**941,128,472**	977,552,291

विवरण	2015-16	2014-15
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	**337,895,369**	269,926,511
ब्याज लागत	**-**	-
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**-**	-
मान्यताप्राप्त निवल बीमांकक लाभ/हानि	**-**	-
आय विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	**337,895,369**	269,926,511

विवरण	2015-16	2014-15
तुलन–पत्र का मिलान		
प्रारंभिक निवल देयता	**1,021,879,659**	613,820,678
यथोक्त व्यय	**337,895,369**	269,926,511
पिछली सेवा लागत	**-**	-
नियोक्ता का अंशदान	**(228,102,382)**	138,132,470
तुलन–पत्र में मान्यताप्राप्त राशि	**1,131,672,646**	1,021,879,659

उपदान के दायित्वों के निर्धारण में प्रयुक्त मुख्य संकल्पनाएं निम्न हैं :

संकल्पनाएं	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
छूट दर	**8.00%**	8.00%
योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	**लागू नहीं**	लागू नहीं
वेतनवृद्धि की प्रत्याशित दर	**5.00%**	5.00%
रगड़ दर	**1-3%**	1-3%

अनुभव समायोजन

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
योजनाबद्ध देयता पर (लाभ)/हानि	**-**	-

उपदान देयता निधिदत्त नहीं है। पिछले वर्ष के लिए एएस–15 द्वारा यथापेक्षित विस्तृत प्रकटन नहीं दिया गया है, अतः उसे प्रकट नहीं किया गया है।

टिप्पणी "7" : व्यापार देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
व्यापार देयताएं		
–सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
–अन्य देयताएं	**86,799,634**	57,272,986
कुल	**86,799,634**	57,272,986

कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित कोई भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं है, जिस पर कंपनी का ब्याज सहित मूल राशि के कारण ऋण हो, और तद्नुसार कोई अतिरिक्त प्रकटन नहीं किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बारे में उपयुक्त सूचना उस हद तक निर्धारित है जहां तक वैसे पक्षकार कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर चिह्नित किए गए हैं। लेखापरीक्षकों ने उस पर विश्वास किया।

टिप्पणी "8" : अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
सांविधिक देयताएं	**57,833,721**	65,108,241
ग्रुप कंपनियों को देय	**-**	32,269,918
वेंडर वित्तीय संस्थान	**5,055,237**	5,655,477
वेंडर कर्मचारी	**11,151,839**	78,251
अन्य वर्तमान देयताएं	**643,501,020**	326,018,344
प्रावधान	**41,053,748**	153,836,253
बैंक गारंटी के बदले जमा	**3,350,000**	3,350,000
बयाना राशि जमा	**38,827,420**	4,555,500
कुल	**800,772,985**	590,871,984

टिप्पणी "9" : मूर्त परिसंपत्तियां

(I) **मूर्त परिसंपत्तियां**

(राशि रुपए में)

	कॉपीयर मशीन – कार्यालय उपकरण	रैम्प उपकरण	फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	इलैक्ट्रिकल फिटिंग्स	कम्प्यूटर्स	कुल
लागत						
1 अप्रैल 2015 को	1,084,494	3,077,473,253	129,829	4,682,996	1,062,891	**3,084,433,463**
परिवर्धन	-	-	-	4,062,241	598,993	**4,661,234**
निपटान/समायोजन	-				-	-
31 मार्च 2016 को	**1,084,494**	**3,077,473,253**	**129,829**	**8,745,237**	**1,661,884**	**3,089,094,697**
मूल्यह्रास						
1 अप्रैल 2015 को	132,252	1,531,535,286	9,428	104,687	133,591	1,531,915,244
निपटान/समायोजन	-				-	-
वर्ष के लिए प्रभार	**206,054**	**178,100,827**	**12,334**	**554,981**	**461,963**	**179,336,158**
31 मार्च 2016 को	**338,305.98**	**1,709,636,113**	**21,762**	**659,668**	**595,554**	**1,711,251,402**
निवल ब्लॉक						
31 मार्च 2015 को	952,242	1,545,937,967	120,401	4,578,309	929,300	**1,552,518,219**
31 मार्च 2016 को	**746,188**	**1,367,837,140**	108,067	8,085,569	1,066,330	**1,377,843,295**
मूल्यह्रास की दर	19%	6.33%	9.50%	9.50%	31.67%	

टिप्पणी "10" : ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपए में)

विवरण	गैर–वर्तमान		वर्तमान	
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	**31 मार्च 2016**	31 मार्च 2015
अरक्षित, शोध्य माने गए				
जमा	**-**	324,000	-	-
आयकर – प्रावधान का निवल	**709,982,816**		-	-
आयकर – निर्धारण वर्ष 2005–06 (वित्तीय वर्ष 2004–05)	**-**	110,115		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2008–09 (वित्तीय वर्ष 2007–08)	**-**	7,800,568		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2009–10 (वित्तीय वर्ष 2008–09)	**-**	12,296,298		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2010–11 (वित्तीय वर्ष 2009–10)	**-**	15,222,918		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2011–12 (वित्तीय वर्ष 2010–11)	**-**	2,199,294		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2012–13 (वित्तीय वर्ष 2011–12)	**-**	12,643,840		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2013–14 (वित्तीय वर्ष 2012–13)	**-**	-3,612,776		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2014–15 (वित्तीय वर्ष 2013–14)	**-**	-11,024,504		
आयकर – निर्धारण वर्ष 2015–16 (वित्तीय वर्ष 2014–15)	**-**	128,504,728		
अग्रिम फ्रिंज बेनिफिट कर (निवल)	**-**	-	-	-
फ्रिंज बेनिफिट कर वित्तीय वर्ष 2008–09	**-**	17,660		
फ्रिंज बेनिफिट कर वित्तीय वर्ष 2007–08	**-**	61,550		
कुल	**709,982,816**	164,543,691	**-**	**-**

टिप्पणी "11" : व्यापार से प्राप्य

(राशि रुपए में)

विवरण	गैर–वर्तमान		वर्तमान	
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	**31 मार्च 2016**	31 मार्च 2015
अरक्षित, शोध्य माने गए				
छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया	-	-	**237,472,490**	956,818,321
अन्य ऋण			**1,057,976,020**	1,462,346,271
ग्रुप कंपनियों से बकाया	-	-	**1,927,568,773**	
कुल	-	-	**3,223,017,283**	2,419,164,592

होल्डिंग कंपनी – एअर इंडिया से प्राप्य राशि व्यापार देयताएं निरूपित करती है।

टिप्पणी "12" : नकदी और बैंक शेष

(राशि रुपए में)

विवरण	गैर–वर्तमान		वर्तमान	
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	**31 मार्च 2016**	31 मार्च 2015
नकदी और नकदी समानक				
i नकदी शेष	-	-	**2,215**	13,029
ii चालू खाते में बैंक में जमा	-	-	**316,931,869**	370,817,005
iii बैंक में शेष–मियादी जमा	-	-	**234,127,000**	80,000,000
कुल	**-**	**-**	**551,061,084**	450,830,034

टिप्पणी "13" : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
वेतन के बदले अग्रिम	**6,178,679**	3,602,029
पूर्वदत्त कार्यालय व्यय	**14,636,052**	1,106,776
अन्य अग्रिम	**142,123,955**	3,349,614
कुल	**162,938,687**	8,058,419

टिप्पणी "14" : प्रचालन से आय (सकल)

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16		2014-15	
I. हैंडलिंग सेवाओं से राजस्व				
ग्रुप कंपनियों से राजस्व	**2,898,312,350**		2,516,608,420	
थर्ड पार्टी हैंडलिंग से राजस्व	**3,055,362,621**		3,114,498,484	
सुरक्षा हैंडलिंग से राजस्व	**36,422,599**		1,035,220,772	
सरकारी पार्टियों से राजस्व	**-**		14,096,653	
कैजुअल हैंडलिंग से राजस्व	**70,693,770**		3,955,233	
		6,060,791,339		6,684,379,563
घटाएं : एअर इंडिया के साथ साझा राजस्व		611,072,524		622,899,697
		5,449,718,815		6,061,479,866
ii. एपीईडीए राजस्व		**454,454,911**		374,899,014
iii. उपकरण उधार				
	38,843,808		12,951,475	
कुल		**5,943,017,535**		**6,449,330,355**

टिप्पणी "15" : अन्य आय

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
भरती आवेदन–शुल्क राशि	**1,163,208**	5,438,260
धन–वापसी पर ब्याज	**13,215**	2,085,480
कॉल एवं एफडी पर ब्याज	**30,892,082**	4,848,012
विदेशी मुद्रा हानि/लाभ	**54,010,660**	6,931,239
अन्य आय	**339,823,771**	1,488,640
कुल	**425,992,936**	**20,791,631**

टिप्पणी "16" : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
वेतन	**3,231,987,798**	3,665,711,343
बोनस	**16,609,301**	1,610,306
ईएसआई योजना में अंशदान	**5,937,070**	148,031
उपदान	**337,895,369**	271,056,197
छुट्टी नकदीकरण	**125,054,359**	132,235,681
भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान	**158,125,468**	97,729,719
कर्मचारी कल्याण व्यय	**179,928,949**	244,797,183
कुल	**4,055,538,314**	**4,413,288,461**

टिप्पणी "17" : वित्त लागत

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
ब्याज अदायगी		
कुल		

टिप्पणी "18" : मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
मूल्यह्रास	**179,336,158**	156,098,523
कुल	**179,336,158**	**156,098,523**

टिप्पणी "19" : अन्य व्यय

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
हैंडलिंग प्रभार	**480,646,930**	452,142,382
स्थापना सहायक प्रभार	**1,310,259**	
भरती व्यय	**1,279,379**	549,957
बीमा	**6,803,875**	6,200,118
पोस्ट एवं कुरियर प्रभार	**350,617**	303,440
टेलीफोन प्रभार	**230,243**	280,104
मरम्मत एवं अनुरक्षण – बिल्डिंग	**18,300**	566,496
मरम्मत एवं अनुरक्षण – अन्य	**69,835,021**	84,355,811
ईंधन एवं तेल	**133,975,073**	47,577,239
बिजली एवं जल प्रभार	**56,784,731**	25,923,409
भंडार एवं स्पेअर्स खपत	**163,808,582**	126,165,134
परिवहन एवं उपकरणों का किराया	**78,186,231**	5,696,420
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**1,174,532**	379,985
प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	**140,258**	579,497
सामान्य प्रभार–सैप एएमसी प्रभार	**13,493,237**	20,988,969
सामान्य प्रभार–अन्य	**6,633,674**	34,316,626
किराया	**39,259,039**	10,590,268
दरें एवं कर	**12,133,569**	13,883,878
यात्रा एवं सवारी व्यय	**22,451,836**	10,971,402
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	**480,042**	290,066
सदस्यता शुल्क	**14,922,157**	-
बैंक प्रभार	**529,747**	308,409
टीडीएस की विलंबित अदायगी पर ब्याज	**15,019**	73,860
सेवा कर पर ब्याज	**-**	724,295
विविध व्यय	**5,470,985**	140,687
सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :		
– लेखापरीक्षा शुल्क	**300,000**	300,000
– जेब खर्च	**30,000**	-
कुल	**1,110,263,335**	**843,308,452**

टिप्पणी "20" : कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित एएस–17 "प्रखंड रिपोर्टिंग" के अंतर्गत प्रकटन

कंपनी एकल रिपोर्टेबल प्रारंभिक व्यवसाय प्रखंड में प्रचालित करती है, जैसे : एअरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, अतः एएस–17 "प्रखंड रिपोर्टिंग" के अंतर्गत कोई प्रकटन नहीं किया गया है। कंपनी केवल भारत में सेवाएं प्रदान करती है।

टिप्पणी "21" : प्रति शेयर अर्जन

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
कर पश्चात लाभ	**1,014,078,865**	906,822,470
भारित बकाया शेयरों की औसत संख्या	**138,424,200**	138,424,200
इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	**10.00**	10.00
अर्जन प्रति शेयर (रु.) – मूल	**7.33**	18,136.45
अर्जन प्रति शेयर (रु.) – तनुकृत	**7.33**	6.55

i वर्ष के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या का समाधान

(राशि रुपए में)

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	**138,424,200**	50,000
जोड़ें : निर्गम इश्यू के माध्यम से शेयर वितरण (आबंटन की तारीख 15 दिसम्बर, 2011)	**-**	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	**138,424,200**	138,424,200
वर्ष के अंत में भारित इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**138,424,200**	138,424,200

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है.

22. वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी ने 13,873.42 भारतीय लाख रूपए के 138,374,200 इक्विटी शेयर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग एलॉटमेंट के अंतर्गत रखी राशि को परिवर्तित करके आबंटित किए हैं ।

23. कंपनी की नीति दो वर्ष में एक बार परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करने की है । चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है ।

24. एअर इंडिया और कंपनी के बीच किए गए करार के अनुसार तीसरे पक्षकारों की एअरलाइनों की ग्राउंड हैंडलिंग (पिछले वर्ष 6,229 लाख भारतीय रुपए) के कारण अर्जित राजस्व के 20% के बराबर 6,110 लाख भारतीय रुपए की राशि शेअर की है ।

25. कंपनी ने 12.60 लाख भारतीय रुपए के तीसरे पक्षकार की एअरलाइनों के लिए इंजीनियरी सेवाएं (प्रमाणन) के बीजक बनाए हैं, जिसे एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया है ।

26. एअर इंडिया ने अपने व्यवसाय में कंपनी की सहायता के लिए औसतन 2,300 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है । वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के रूप में 11,175.62 लाख रुपए की राशि डेबिट की है ।

27. एअर इंडिया ने ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों के संबंध में वर्ष के दौरान उपभुक्त भंडारों एवं कुलपुर्ज़ों की कीमत स्थानांतरित की है । इन्वेंटरी एअर इंडिया की बहियों में बनी है और उसे कंपनी को स्थानांतरित नहीं किया गया है ।

28. वर्ष के दौरान एअर इंडिया ने 3,047.30 लाख भारतीय रुपए की राजस्व राशि एवं 23,173.64 लाख भारतीय रुपए व्यय के रूप में स्थानांतरित किए हैं ।

लेखा शीर्ष	लेखा विवरण	नामे	जमा
3304001000	ग्राउंड हैडलिंग राजस्व	317.64	–
3304003030	विविध आरईसीटीएस स्क्रैप बिक्री	–	0.91
3304003125	हैंडलिंग राजस्व कार्गो कॉम्प्लैक्स	–	1,243.23
3304003130	वेअरहाउस राजस्व कार्गो कॉम्प्लैक्स	–	1,020.28
3304003135	विविध राजस्व कार्गो कॉम्प्लैक्स	–	743.50
3304003145	कार्टेज राजस्व कार्गो कॉम्प्लैक्स	–	28.45
3304003225	स्ट्रैपिंग तथा पैकिंग राजस्व	–	10.93
4401001015	वेतन–कर्मचारी भारत	11,175.63	–
4401001020	वेतन–अनियत मजदूर	2,150.00	–
4401004075	कर्मचारी चिकित्सा व्यय	56.23	–
4401004165	अन्य कर्मचारी कल्याण व्यय	1,647.83	–
4402002100	बीमा विधिक देयता मोटर ट्रांसपोर्ट	62.28	–
4402003000	बीमा कर्मचारी	0.15	–
4408001100	हैंडलिंग प्रभार–वाणिज्य	421.30	–
4408003000	यात्री बैगेज दावे व्यय	44.36	–
4412002000	कर्मचारी यात्रा–भारत	86.09	–
4412002001	यात्रा व्यय–हवाई टिकट लागत	25.52	–
4412002005	कर्मचारी यात्रा–भारत / विदेश	33.59	–
4412002025	व्यय अस्थायी / स्थायी स्थानांतरण	2.11	–
4412002035	होटल व्यय–ड्यूटी पर कर्मचारी	39.11	–
4417001000	दर तथा कर	119.95	–
4417001010	परिसर किराया	390.97	–
4417001400	जीएसडी कल पुर्ज़े की खपत	1,244.55	–
4417001405	एमटी कल पुर्ज़े की खपत	361.74	–
4417001415	डीआईटी कल पुर्ज़े की खपत	2.35	–
4417001425	उपकरणों की मरम्मत तथा रखरखाव–ओ	172.15	–
4417001440	रैम्प उपकरणों का रखरखाव	288.52	–
4417001445	बाह्य पार्टी द्वारा मरम्मत–मोटर ट्रांसपोर्ट	3.51	–
4417001455	भाड़े / लीज़ पर उपकरण	18.30	–
4417001460	आईटी उपकरणों का रखरखाव	48.23	–
4417001475	भाड़े पर ली गई जनशक्ति के ठेके	3.18	–
4417001600	भाड़े पर लिया गया परिवहन	685.41	–
4417001800	इलैक्ट्रिसिटी हीटिंग प्रभार	478.35	–
4417001850	ईंधन, गैस, कोयले, तेल की खपत	765.02	–
4417001857	ईंधन, तेल, भूतल परिवहन	522.34	–
4417001900	जल प्रभार	89.50	–
4417004700	वाणिज्य भंडार खपत	9.04	–
4417004705	गैर स्टॉक सामग्री खपत	17.06	–
4417004720	यूनिफॉर्म सामग्री खपत	17.32	–
4417004820	कार्यालय साफसफाई व्यय	13.06	–
4417004975	सामान्य प्रभार	148.65	–
4418001000	पूर्वावधि व्यय	1,712.60	–
	कुल	**23,173.64**	**3,047.30**

सांविधिक देयता, जैसे सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, स्रोत पर काटा गया कर और एअरपोर्ट की रॉयल्टी स्थानांतरित नहीं की गई है और एअर इंडिया द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है ।

लेखे शीर्ष में कुछ अंतरण किए गए हैं, जिसका कंपनी के पास विवरण, जैसे नाम और/या नामावली नहीं है ।

लेखा शीर्ष	लेखा विवरण	राशि
1109003175	यात्री नकदी राजस्व–नया	1,59,775
1109003700	कर्मचारी टिकट	52,571
1109003765	एसटीएस धन–वापसी	23,049
2213009400	राजस्व चैक–हाथ में	58,248

29. वर्ष के दौरान, 1,315.02 लाख भारतीय रूपए की राशि लेखे में एसएफआईएस 2015–16 के अंतर्गत हकदारी में दर्शाई गई है (पिछले वर्ष भारतीय रूपए शून्य)।

30. वर्ष के दौरान, समूह या ग्रुप कंपनियों से प्राप्त बकाया पर ब्याज प्रभारित किया गया है और 1,931.00 लाख भारतीय रूपए तक मान्यता दी गई है। (वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्व वर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष 993.00 भारतीय रूपए दर्शाया गया है)।

31. एचएएल, एआई, जेडबल्यूजी द्वारा शेयर किया गया रु. 148.93 लाख भारतीय रूपए राजस्व वर्ष के दौरान दर्शाया गया है (वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्व वर्ष राजस्व के अंतर्गत पिछले वर्ष 126.72 लाख भारतीय रूपए दर्शाया गया है) ।

32. सुरक्षा राजस्व की राशि 7,676.18 लाख भारतीय रूपए में से 7311.96 लाख भारतीय रूपए (अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 की अवधि के लिए बनाए गए बिल) एअर इंडिया को अंतरित की गई है। पुनः प्रभार, यदि कोई हों, के लिए 364.22 लाख भारतीय रूपए की राशि कंपनी के पास रखी गई है ।

सांविधिक देय जैसे सेवा कर, टीडीएस एवं एअरपोर्ट रॉयल्टीज़ अंतरित नहीं किए गए हैं और कंपनी द्वारा इनका पालन किया गया है ।

33. कंपनी द्वारा सुरक्षा एजेंटों को अदा की गई 5,972.44 लाख रूपए की राशि (सहमत 10% मार्क–अप सहित) वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान एअर इंडिया को अंतरित की गई है ।

34. नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 252.61 लाख भारतीय रूपए की निवल राशि वर्ष 2015–16 के लाभ एवं हानि लेखे में जमा की गई है:–

पूर्व वर्ष की आय	
हैंडलिंग राजस्व	936.06
एचएएल एआई जेडबल्यूजी से लाभ का शेयर	126.72
सहायक कंपनियों से ब्याज	993.00
	2,055.78
पूर्व वर्ष का व्यय	
वर्ष 2014–15 का व्यय एअर इंडिया द्वारा एआईएटीएसएल के नामें लिखा गया	1,672.62
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	40.00
बोनस भुगतान 2013–14	90.55
	1,803.17
निवल आय	252.61

35. ऋण एवं अग्रिम (दीर्घावधि एवं अल्पावधि) अन्य परिसंपत्तियां (वर्तमान / निवर्तमान)

बाहरी पक्षकारों द्वारा काटा गया टीडीएस, जिसके लिए आयकर आंकड़ा आधार (फार्म नं. 26 एएस) के साथ समाधान और टीडीएस प्रमाण–पत्रों के लिए अनुगमन जारी हैं। ऐसे समय तक वसूली योग्य माना गया है ।

कंपनी ने प्राप्यों एवं देयों के लिए शेष की संपुष्टि की मांग की है । हालांकि अधिकांश मामलों में पक्षकारों ने जवाब नहीं दिए हैं ।
प्राप्यों के शेष में मिलान न किए गए क्रेडिट / डेबिट की कुछ मदें शामिल हैं और ये उपयुक्त मिलान और समाधान के लंबित रहते बही शेष के अनुसार उल्लिखित की गई हैं । उपर्युक्त के परिणामस्वरूप संग्रह के समय व्यापार प्राप्यों के पुराने होने से ऐसे मिलान न किए हुए क्रेडिट को प्राप्यों के लेखे में शेष के बकाया और समाधान के डेबिट पर नहीं दर्शाया गया है ।

निम्नलिखित लेखों का संबंध में समाधान किया जा रहा है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई है, तो समाधान पूर्ण होने के वर्ष में किया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	लेखा शीर्ष	लेखा विवरण
1	1110002395	को–ऑपरेटिव / क्रेडिट सोसायटी देय	38,531,543.58
2	1110002485	डाक जीवन बीमा	192,436.95
3	1110002515	अदत्त वेतन एवं मज़दूरी	257,427.72
4	1110002540	अदालती कुर्की	51,671.90
5	1110002545	निधन कोष	–100,871.09
6	1110002610	वसूली यूनियन देय	539,806.17
7	2212001632	आयटा प्रभार 2014–15	1,261,304.54
8	2212001633	आयटा प्रभार 2015–16	83,996,665.87
9	2214002170	अग्रिम चालू परिसंपत्तियां	2,001,723.50
10	2214002335	वसूली योग्य प्रभार सामान्य	4,536,782.52
11	2214005055	टीडीएस प्रमाण–पत्र प्राप्त	25,619,738.00
12	2214006545	स्टाफ अग्रिम यात्रा	261,307.00
13	2214006560	अग्रिम वेतन स्टाफ भारत	6,178,679.22
14	2214006575	वसूली योग्य प्रभार कर्मचारी सामान्य	2,011,615.03
15	2214006580	कर्मचारी दावे वसूली	–308,033.66

36. नकद एवं बैंक शेष

वर्ष के अंत में हाथ में नकद के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रिया प्राधिकृत पदधारियों द्वारा की गई है । नकद शेष प्रमाण–पत्र संबंधित पदधारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है । बैंक शेष का पूरी तरह समाधान किया गया है और बैंक से संपुष्टि प्राप्त की गई है ।

37. वर्तमान देयताएं

क) इनपुट क्रेडिट सहित सेवाकर प्राप्त किया जाता है और स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) आयकर के संबंध में प्राप्त होने वाली रिफंड राशि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), व्यवसाय कर एवं एअरपोर्ट रॉयल्टी फाइल की गई विवरणी / सांविधिक अभिलेखों के अनुसार समाधान की जा रही है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई हों, समाधान के पूर्ण होने के वर्ष में किए जाएंगे ।

ख) उन सेवाओं के लिए जिन पर कर नहीं लगता हो, के सेनवेट क्रेडिट की वापसी की गणना की जा रही है और मिलने के लिए अयोग्य इनपुट क्रेडिट संबंधित खर्च के भुगतान के समय राजस्व में प्रभारित की गई है। इस संबंध में स्पष्ट राशि का पता लगाया जा रहा है। समाधान के पूर्णता वर्ष में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

ग) लेखा बहियों के अनुसार 31/3/2016 को कंपनी को सेवा कर देयता की बकाया राशि 322.59 लाख भारतीय रुपए (पिछले वर्ष 498.00 लाख भारतीय रुपए) समाधान की जाने वाली है।

कंपनी की 31/03/2016 को टीडीएस दायित्व की बकाया राशि 232.17 लाख भारतीय रुपए (पिछले वर्ष 130. 71 लाख भारतीय रुपए) है । जब कभी बिलों का भुगतान हो जाता है तो टीडीएस दायित्व को मान्यता दी जाती है ।

घ) ग्राहकों से वसूल की गई रॉयल्टी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली इंटरनैशनल एअरपोर्ट लिमिटेड, मुंबई इंटरनैशनल एअरपोर्ट लिमिटेड और कोच्चि इंटरनैशनल एअरपोर्ट को देय रॉयल्टी का मिलान किया जा रहा है। वित्तीय प्रभाव यदि कोई हों, जो समाधान से निकले, उन्हें समाधान पूर्ण होने के वर्ष में दर्शाया जाएगा।

ङ) विभिन्न विक्रेताओं/सेवा उपलब्धकर्ताओं के बिल विभिन्न प्रचालन विभाग, जो ऐसी बिलिंग से संबंधित हैं, द्वारा की गई कटौतियों के बाद परिगणित की जाती हैं/भुगतान किया जाता है। ये कटौतियां एएआई/ डीआईएएल/ एमआईएएल/अन्य विक्रेताओं द्वारा पुष्ट नहीं की गई हैं और इस तरह इन बिलों से संबंधित दावों को समाप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। लेखों में इस संबंध में किसी दायित्व/प्रासंगिक देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि इनका पता लगाया जाना शेष है।

38. वर्ष के दौरान सांविधिक देयों के भुगतान में कुछ विलंब हो रहा है, जैसे स्रोत पर कर की कटौती, सेवा कर, ऐसे विलंब पर ब्याज का प्रावधान किया गया है/भुगतान किया है ।

39. लंबित विधिक मामलों में कोई प्रावधान या प्रासंगिक देयताएं नहीं की गई हैं । विभिन्न पक्षकारों को बिल किए गए अधिक ग्राउंड हैंडलिंग राजस्व, जो 120.99 लाख भारतीय रुपए तक है, का लेखा बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि प्राप्ति के आधार पर अस्वीकार किया गया है ।

40. ग्राहक एअरलाइनों को 58.23 लाख भारतीय रुपए तक की कम बिलिंग के मामले का पता चला है और बिल न की गई सेवाओं को वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है ।

41. वित्त वर्ष 2015–16 के लिए राजस्व लेखा परीक्षा (आंतरिक) की जा रही है और अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर आवश्यक लेखाकरण कार्रवाई, यदि कोई हो, की जाएगी।

42. वर्ष के दौरान पूर्वी क्षेत्र ने कुछ ग्राहक एअरलाइनों का सुरक्षा बिल ग्राउंड हैंडलिंग के अंतर्गत बिल किया है और उसकी मात्रा का पता नहीं लग पाया । अतः उसे एअर इंडिया को अंतरित नहीं किया गया है।

43. वर्ष के दौरान कुछ मामलों में लेवी और/या सेवा कर प्रभारित नहीं किया गया है। बीजकों की पहचान होने पर आवश्यक बिलिंग एवं लेखाकरण कार्रवाई की जाएगी ।

44. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई, डीआईएएल, एमआईएएल आदि) के निदेशानुसार, कंपनी लेवी पर सेवा कर प्रभार लगाती है। उसका लेखाकरण लेवी के साथ किया जाता है ।

45. वर्ष के दौरान तीसरे पक्षकार की एअरलाइनों द्वारा पुनःप्रभारों का समाधान किया गया है, इसमें 852.57 लाख भारतीय रुपए का शेष है, जिसका संबंधित पक्षकारों को पुनःप्रभारित करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवश्यक बिलिंग कार्रवाई की गई है ।

46. तीसरे पक्षकारों के साथ ग्राउंड हैंडलिंग और सुरक्षा संविदाओं के उदाहरण देखे गए हैं, जो समाप्त हो गए हैं और नवीकृत नहीं किए गए हैं। हालांकि सेवाएं प्रदान किया जाना जारी था और पक्षकार एसजीएच करार के आधार पर बीजकों को स्वीकार करती थीं। ग्राहक एअरलाइनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नए करारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं ।

47. समूह कंपनी के लेखे का समाधान

माध्यमिक/संक्रमण लेखों, प्राप्य/देय लेखों, राजस्व/इन्वेंटरी/अन्य लेखांकन मॉड्यूल, बैंक शेष और अन्य परिसंपत्तियों और दायित्व/आय एवं व्यय सहित सहायक लेखों का समाधान/संपुष्टि की गई है और उन्हें पूरा किया गया है ।

अमेल मदों एवं लेखों की पहचान करने की प्रक्रिया चालू है। वित्तीय विवरणों पर समाधान के कारण होने वाले परिणामी समायोजन का प्रभाव, यदि कोई हो, तो समाधान के पूर्ण होने के वर्ष में उन्हें दर्शाया जाएगा ।

48. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी ने समूह कंपनियों (एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस एवं एलाइंस एअर) को हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की हैं। आईओसीसी द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के आधार पर बिल तैयार किए गए हैं और व्यक्तिगत हैंडलिंग फार्म संलग्न नहीं किए गए हैं, जैसाकि तीसरे पक्षकार की हैंडलिंग के मामले मे किया गया है ।

49. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस 18 द्वारा) यथापेक्षित प्रकट करने के लिए कोई संबंधित पक्षकार नहीं है ।

50. कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित लाभ योजना का सामान्य विवरण

अधिवर्षिता, मृत्यु या स्थायी अपंगता पर उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सभी पात्र/योग्य कर्मचारियों को उपदान का भुगतान किया जाता है ।

उपदान, विशेषाधिकार छुट्टी, चिकित्सा अवकाश का बीमांकन मूल्यांकन वर्ष के अंत में (31 मार्च, 2016 को) किया गया है ।

इन प्रावधानों में चिकित्सा लाभ पर खर्चों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है ।

(ख) परिभाषित अंशदान योजना

पैत्रिक कंपनी भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत एक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास है, जो पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं को प्रशासित करता है। कंपनी और कर्मचारी भविष्य निधि में 10 प्रतिशत का अंशदान करते हैं, जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

51. आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयताओं को आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता की हद तक केवल मान्यता दी जाती है, जो निम्नतर है :

(भारतीय रुपए लाख में)

	विवरण	31.03.2015 को शेष	2015–16 में मान्यता प्राप्त डीटीए/डीटीएल	31.03.2016 को कुल डीटीए
(क)	**आस्थगित कर देयता**			
	(i) अचल परिसंपत्तियों के संबंध में			
	उप–जोड़ (क)	1,137.95	13.29	1,151.24
(ख)	**आस्थगित कर परिसंपत्ति**			
	(i) अनवशोषित मूल्यह्रास			
	(ii) व्यवसाय हानि			
	उप–जोड़ (ख)			
	आस्थगित कर/(देयता) (निवल)	1,137.95	13.29	1,151.24

52. निगम अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है, परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। अतः धारा 177(2) तथा धारा 178 के अधीन क्रमशः कोई परिलब्धि समिति नहीं है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है । वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 37.82 लाख रुपए की राशि व्यय की गई ।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, 26 फरवरी, 2015 और 1 जुलाई, 2015 को 120 दिनों से अधिक के अंतराल पर बोर्ड की बैठकें हुई ।

53. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखापरीक्षकों के व्यय के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

विवरण	**2015–16**	**2014–15**
लेखापरीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	**3.00**	3.00
जेबखर्च*		0.30
कुल	**3.00**	3.30

* भुगतान आधार पर परिगणित

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

जैन एण्ड जैन के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 103869डबल्यू

हस्ता./–
अजय जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 110372

स्थान : मुंबई
तारीखः 8 फरवरी, 2017

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
श्री अश्वनी लोहानी
अध्यक्ष

हस्ता./–
श्री विनोद हेजमाडी
निदेशक

हस्ता./–
श्री संजीव दुआ
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
कैप्टन ए.के. शर्मा
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हस्ता./–
श्रीमती पूनम भारवानी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तारीखः 8 फरवरी, 2017